सम्पादक
डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
फोन : 0522–2740406
E-mail : nadwa@sancharnet.in
nadwa@bsnl.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 30/-
वार्षिक	₹ 300/-
विदेशों में (वार्षिक) 50 युएस. डॉलर	

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग
लखनऊ–226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

जून, 2018 वर्ष 17 अंक 04

ईद

ईद है हाँ ईद है ईमान वालों के लिए
रोज़े जिसने रखे थे उन रोज़ेदारों के लिए
बूढ़ों बच्चों और जवानों के लिए यह ईद है
हम मुसलमानों को रब की दी हुई यह ईद है
तक्बीर और तहलील और तहमीद की कसरत करें
पढ़ के दोगाना दुआ में हम तलब रहमत करें
मुल्क में अम्नों अमां हो पुर सुकूं माहौल हो
भाई चारा और बाहम उन्स का माहौल हो
रहमतें या रब नबी पर और हों लाखों सलाम
उनके आल अस्हाब पर भी रहमतें या रब मुदाम

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। आप अपना पैसा दिये गये बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं। SACHCHARAHI A/c. No. 10863759642 IFS Code: SBIN0000125 Swift Code: SBININBB157 State Bank of India, Main Branch, Lucknow. और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें। बराये करम पैसा जमा हो जाने के बाद दफ़्तर के फोन नं0 या ईमेल पर खरीदारी नम्बर के साथ इत्तिला ज़रूर दे दें।

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौ0 बिलाल अब्दुल ह़यी हसनी नदवी	05
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	07
ईदुल फ़ित्र	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	08
इस्लाम के तीन बुन्यादी अक़ायद	हज़रत मौ0 अबुल हसन अली नदवी रह0	11
आदर्श शासक	मौलाना अब्दुस्सलाम क़िदवाई नदवी	14
नमाज़ की हक़ीक़त व अहम्मीयत	मौलाना मंजूर नोमानी रह0	17
इस्लाम और मुसलमानों के दिफ़ाअ	हज़रत मौ0 सै0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी	21
तागूती और शैतानी निज़ाम	मौलाना मुहम्मद हमज़ा हसनी नदवी	23
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती ज़फ़र आलम नदवी	25
दीन व इस्लाम की हिफाज़त	हज़रत मौ0 सै0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी	29
मानवता मिशन	डॉ0एम0वाई0एच0के0	30
संयमता	नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी	32
नाते नबी सल्ल0	अब्दुल रशीद सिद्दीक़ी	34
शरीअते इस्लामी की अहमियत	हज़रत मौ0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी	35
दुन्या के तूफाने बला ख़ेज़ में	मौलाना शम्सुलहक़ नदवी	39
उर्दू सीखिए	इदारा	42

क़ुरआन की शिक्षा

–मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़यी हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-निसा:

अनुवाद–

ऐ अहल–ए–किताब अपने दीन (धर्म) में हद से आगे न बढ़ो और अल्लाह के बारे में वही बात कहो जो ठीक हो, बेशक मसीह मरियम के बेटे ईसा अल्लाह के रसूल हैं और उसका ''कलिमा'' (वाक्य) हैं जो उसने मरियम तक पहुंचा दिया और उसकी ओर से एक रूह (आत्मा) हैं तो अल्लाह को और उसके रसूलों को मानो और खुदा को तीन मत कहो इससे बाज़ आ जाओ यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा बेशक अल्लाह तो केवल एक ही पूजा (इबादत) के लायक़ है वह इससे पाक है कि उसकी संतान हो जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ भी ज़मीन में है सब उसी का है और काम बनाने के लिए अल्लाह काफ़ी है[1](171) मसीह को इससे हरगिज़ कोई आर (लज्जा) नहीं कि वे अल्लाह के बन्दे हों और न ही (अल्लाह के) निकटवर्ती फरिश्तों को, जिसको भी उसकी बन्दगी से आर होगा और अकड़ेगा तो जल्द ही उन सबको वह अपने पास इकट्ठा करेगा(172) बस जिन्होंने माना और भले काम किये तो वह उनको उनका पूरा बदला दे देगा और अपने फज़्ल (कृपा) से बढ़ा कर देगा और जिन्होंने आर (लज्जा) किया और अकड़े तो वह उनको दुखद अज़ाब देगा और वे अपने लिए अल्लाह के अलावा न कोई समर्थक पा सकेंगे और न कोई मददगार[2](173) ऐ लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की ओर से खुला प्रमाण आ चुका और हमने तुम्हारी ओर खुली रौशनी उतार दी(174) तो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उन्होंने उसको मज़बूत थाम लिया तो वह जल्द ही उनको अपनी खास रहमत (दया) व फज़्ल (कृपा) में दाखिल कर देगा और उनको अपनी ओर सीधे रास्ते पर पहुंचा देगा[3](175) वे आप से हल पूछते हैं आप कह दीजिए कि अल्लाह तुमको ''कलालह'' का आदेश बताता है अगर कोई व्यक्ति मर जाए उसके औलाद न हो और उसकी एक बहन हो तो जो भी उसने छोड़ा उसमें से आधे की हक़दार होगी और अगर बहन पहले मर जाए तो वह (भाई) उसका वारिस होगा अगर उसके संतान न हो फिर अगर दो बहनें हों तो वह जो भी छोड़ जाए उसका दो तिहाई उनका होगा और अगर कई भाई बहन हैं मर्द भी हैं और औरतें भी तो मर्द के लिए दो औरतों के हिस्से के बराबर है अल्लाह तुम्हारे लिए खोल कर बयान

शेष पृष्ठ....33 पर

प्यारे नबी की प्यारी बातें

—अमतुल्लाह तस्नीम

शगुन और रमल का बयानः-

हज़रत मुआविया बिन हकम रज़ि0 से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया या रसूलुल्लाह मुझे इस्लाम लाये हुए थोड़ा जमाना गुज़रा है अब अल्लाह तआ़ला के फज्ल से इस्लाम काल है लेकिन अभी हम में कुछ लोग ऐसे हैं जो काहिनों के पास जाते हैं, आपने फरमाया तुम न जाना, मैंने अर्ज किया कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शगुन लेते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया यह एक चीज है जिससे वह लोग अपने दिल में पाते हैं तो उनको चाहिए कि यह ख्याल उनको काम से न रोके, मैंने अर्ज किया कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खत (लकीर) खींचते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया एक नबी लकीर खींचते थे तो अगर लोगों का खत उनके खत के मुवाफिक है तो ठीक है। (मुस्लिम)

तीन हराम चीज़ेंः-

हज़रत अबू मस्ऊद बद्री रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुत्ते की कीमत और दुष्कर्म की उजरत (मजदूरी) और काहिन की शीरीनी (चढ़ावे) की मुमानियत फरमाई है।

(बुखारी—मुस्लिम)

फाले नेक का आदेशः-

हज़रत अनस रज़ि0 से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया ना मुतअद्दी (संक्रमण रोग) कोई चीज़ है न शगुन , हाँ फाल मुझे पसंद है, लोगों ने अर्ज किया फाल क्या चीज़ है आपने फरमाया फाल एक अच्छा कलिमा है।

(बुखारी—मुस्लिम)

छुवा छूत कोई चीज़ नहींः-

हज़रत इब्ने उमर रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया बीमारी लग जाने की कुछ हकीकत नहीं और अशुभ शगुन लेने की भी कोई हकीकत नहीं, और नहूसत किसी चीज़ में हो सकती है तो घर, औरत, और घोड़े में हो सकती है।

(बुखारी—मुस्लिम)

अर्थात घर की नहूसत तंगी और पड़ोसियों की खराबी है। औरत की नहूसत दुर्व्यवहार व बेदीनी है। घोड़े की नहूसत सवार को बैठने न देना और शरारत करना है।

हज़रत बुरैदा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने शगुन का जिक्र किया गया, आपने फरमाया सब से अच्छी चीज़ फाल है उससे कामिल मुसलमान के इरादे को लड़खड़ाहट नहीं होती, और जब तुम कोई नागवार बात देखो तो कहोः अनुवाद— ''ऐ अल्लाह

तेरे अलावा कोई भलाई लाने वाला नहीं, और तेरे अलावा कोई बुराई को दूर करने वाला नहीं, और तेरे अलावा न किसी में ताक़त है न कुव्वत''।

(अबू दाऊद)

फोटो ग्राफर की सजाः–

हज़रत इब्ने उमर रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जो लोग तस्वीरें बनाते हैं उन पर कयामत में अजाब होगा और उनसे कहा जायेगा कि उन तस्वीरों में जान डालो।

(बुखारी–मुस्लिम)

हज़रत आयशा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी सफर से तशरीफ लाये और मैंने दरवाजे पर एक पर्दा डाल रखा था जिसमें तस्वीरें थीं जब आप की नजर उस पर्दे पर पड़ी तो आप के चेहर–ए–मुबारक का रंग बदल गया और फरमाया ऐ आयशा कियामत में सबसे जियादा अ़ज़ाब उनको होगा जो अल्लाह की पैदा की हुई चीज में नकल उतारना चाहते हैं, तो हमने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिये और एक या दो तकिये बनाये।

(बुखारी–मुस्लिम)

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है फरमाते थे कि फोटोग्राफर आग में डाला जायेगा और जितनी तस्वीरें उसने बनाई हैं उन सब में जान डाल दी जायेगी वह उस पर अजाब करेंगी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि0 कहते हैं कि अगर तस्वीरें बनाना जरूरी समझो तो बेजान चीजों की तस्वीरें बनाओ जैसे पेड़ वगैरह।

(बुखारी–मुस्लिम)

–प्रस्तुति–
जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

अनुरोध

अगर आपको "सच्चा राही" की सेवाएं पसन्द हों तो आप से अनुरोध है कि "सच्चा राही" के नये ग्राहक बनाने का प्रयास करें, अल्लाह आपको अज्र देगा और हम आपके आभारी होंगे।

(संपादक)

रहमतें उन पर मुदाम

शुक्र है अल्लाह का
है करम अल्लाह का
तोबा की तौफीक है
सज्दों की तौफीक़ है
रब से ली है लौ लगा
हुब्बे दुन्या दी भुला
हुब्बे रब हुब्बे नबी
दिल में मेरे है बसी
करता जब बैअ़ो शिरा
रब है मुझ को देखता
दस्त बकारो दिल बयार
कर लिया अपना शिआर
क़ब्र में जब जाऊँगा
सुख वहाँ मैं पाऊँगा
हश्र के मैदान में
अर्श की मैं छांव में
वाँ नबी को पाऊँगा
मुतमइन हो जाऊँगा
वह मुझे बख़्शाएंगे
ख़ुल्द में भेजवाएंगे
रहमतें उन पर मुदाम
और हों लाखों सलाम

❖❖❖

ईदुल फ़ित्र

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

ईद का अर्थ है प्रसन्नता, खुशी और फित्र का अर्थ है रोज़ा खोलना या तोड़ना (ब्रेक फास्ट) चूंकि अल्लाह के आदेश से मुसलमानों ने रमजान मास के रोजे रखे, अल्लाह के इस आदेश को पूरा कर लेने और पूरे एक मास के रोज़े पूरे कर लेने के पश्चात अब वह दिन आया जिस में रोज़ा नहीं रखा जाएगा और खाने पीने के साथ खुशी मनाई जाएगी इसलिए इस दिन को ईदुल फित्र अर्थात रोज़ा खोल देने की खुशी का दिन कहा जाता है, यह ऐसा दिन है कि इस दिन रोज़ा रखना वर्जित है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना तय्यिबा तशरीफ लाये तो यहां पहले से बहुत से लोग मुसलमान हो चुके थे और कुछ मुसलमान पलायन करके आये थे यह मुसलमान साल में दो दिन खुशियां मनाते थे। एक मेला सा करते थे, अशआर पढ़ते अच्छा खाते और खुशियां मनाते यह देख कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूछा कि यह क्या करते हो मुसलमानों ने उत्तर दिया कि हम लोग इस्लाम लाने से पहले ही से यह दो दिन मेला करते और खुशियां मनाते थे, इस्लाम लाने के पश्चात भी उन दोनों दिनों में खुशियां मनाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा अल्लाह तआ़ला ने तुम को इससे अच्छे दो दिन ईद (खुशी) के दिये हैं उन में से एक रोज़ों के समापन पर पहली शव्वाल को दूसरा 10 ज़िलहिज्जा को जिसे ईदुल अज़हा कहते हैं, उसके पश्चात से मुसलमान पहले वाले दोनों दिनों को छोड़ कर इन दोनों दिनों में खुशियां मनाने लगे परन्तु इन दोनों दिनों में खुशियां मानाने का तरीक़ा भी बता दिया गया वह तरीक़ा इस प्रकार है।

मुसलमान ईदुलफित्र की सुब्ह को कुछ पहले उठ जाते हैं और फज्र की नमाज के पश्चात अल्लाह की बड़ाई उसके एक होने तथा उसकी प्रसन्नता अरबी बोल में इस प्रकार धीरे धीरे जपते रहते हैं।

अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, लाइलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर व लिल्लाहिल हम्द (अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के अतिरिक्त कोई और पूज्य नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह ही प्रशंसा योग्य है।

फिर मुसलमान नहाते हैं और वुज़ु करते समय मिस्वाक करते हैं। फिर अल्लाह ने जो दिया है उस में से अच्छे कपड़े पहनते हैं इत्र लगाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। जो मुसलमान साहिबे निसाब हैं वह आज ईदगाह जाने से

पहले सद–कए–फित्र अदा करेंगे सिवाय इसके कि वह सदक़ा रमज़ान के आखिरी दिनों में अदा कर दिया हो इसको ज़रा तफ़्सील से लिख देना आवश्यक लगता है।

साहिबे निसाब वह मुसलमान है जिसके पास 612 ग्राम 282 मिग्रा चांदी हो चाहे गहनों की शक्ल में हो, या उसके पास 612 ग्राम 282 मिग्रा चांदी खरीदने भर के पैसे हों ऐसे शख्स पर अपनी और अपनी नाबालिग़ संतान की ओर से सदकए फित्र देना वाजिब है व्यस्क संतान और बीवी अगर अपनी जगह साहिबे निसाब हैं तो वह अपना सदका खुद अदा करेंगे अगर उनका सदक–ए–फित्र घर का मालिक अदा करदे तो अच्छी बात है परन्तु उस पर वाजिब नहीं है।

सद–कए–फित्र (ईद के दिन का दान) एक किलो 600 ग्राम गेहूं या उसकी कीमत एक आदमी की ओर से दी जाती है, सद–कए–फित्र गरीब मुसलमानों को पहुंचाया जाये यह कैसा अच्छा प्रबन्ध है, यह सदका गरीब की ईद की खुशी में सहयोगी होगा। सदका चुकाने के पश्चात अब ईदगाह जाने की तैयारी करना है, ईदुल फित्र के दिन ईदगाह जाने से पहले कुछ मीठा खाना सुन्नत है अगर कुछ खजूरें खाएं तो ज़ियादा अच्छी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ताक़ अदद में खजूरें खा के ईदगाह जाते थे। हमारे यहां मीठी सिवय्यां खाने का रवाज है इसमें भी कोई हरज नहीं, ईदगाह जाते समय रास्ते में वही पीछे लिखे जाने वाले अरबी जुम्ले आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हुए जाएंगे, जब सब लोग ईदगाह पहुंच जाते हैं तो आम तौर से पहले इमाम या कोई आलिम नमाज़ पढ़ने के विषय में कुछ समझाते हैं ताकि अनजान लोग गलती न करें इसलिए कि यह नमाज़ दूसरी नमाज़ों से कुछ अलग होती है। इसकी दोनों रकअतों में तीन बार अल्लाहु अक्बर ज़ियादा कहना पड़ता है वह तक्बीरें कहां और कैसे कही जाएंगी इस को समझाते हैं, फिर इमाम खड़ा हो कर लोगों की सफें बनवा कर दो रकअतें पढ़ाता है फिर ईद की नमाज़ में न अज़ान है न इक़ामत अब इमाम साहिब अरबी भाषा में दो खुतबें पढ़ते हैं इन में अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की प्रशंसा, अल्लाह के नबी पर दुरूद व सलाम के साथ ईद से संबंधित आम बातें होती हैं। सुनने वाले समझें या न समझें इन खुत्बों का सुनना आवश्यक होता है। कहीं कहीं तो इमाम पहले खुत्बे में मक़ामी ज़बान में भी आवश्यक बातें बता देते हैं। लेकिन खुत्बा अरबी ही में आरम्भ करते हैं और अरबी ही में समाप्त करते हैं। मकामी ज़बान में जो कुछ कहते हैं वह बीच में कहते हैं। बाज़ इमाम नमाज़ के पश्चात तो बाज़ खुत्बों के पश्चात दुआ भी मांगते हैं

शेष पृष्ठ....13 पर

इस्लाम के तीन बुन्यादी अक़ायद

–हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी (रह0) – अनुवादकः मुहम्मद हसन अंसारी

तौहीद का स्रोतः–

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तौहीद के सबसे बड़े अमीन और उसके सबसे बड़े प्रचारक, उसकी तरफ बुलाने वाले और उसकी हक़ीक़त पहचानने वाले थे। सदियों से उन्हीं की लाई हुई दौलत मौजूद है जो अब तक बट रही है और क़यामत तक बटती रहेगी। हमारे और आपके दामन में भी खुदा के फजल से वह दौलत मौजूद है। हमारे नबी सबसे ज़ियादा अल्लाह को जानने वाले, सबसे ज़ियादा अल्लाह को चाहने वाले, सबसे ज़ियादा अल्लाह पर कुर्बान होने वाले थे। इसलिए आपकी ग़ैरत (लज्जा) का भी यह हाल था कि एक व्यक्ति ने सिर्फ यह कह दिया कि ''जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत (आज्ञापालन) करेगा वह हिदायत पायेगा और जो इन दोनों की नाफरमानी करेगा वह गुमराह होगा।''

आप इसको सहन नहीं कर सके, और आपसे सुना न गया। फरमाया, तुम्हें बात करने का सलीका नहीं, अलग–अलग यूं कहो कि जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वह गुमराह होगा। ऐसे ही एक व्यक्ति ने कहा, अगर अल्लाह और आप चाहें तो यह काम हो जायेगा। आपने फरमाया, तुम ने मुझे खुदा का हमसर (समकक्ष) बना दिया? नहीं, जो तनहा खुदा चाहे।

यह है ग़ैरत का आलम। एक सच्चे आशिक को जितनी महब्बत होती है, उतनी गैरत होती है। ग़ैरत अधीन है महब्बत के, गैरत मातहत है ज्ञान के, गैरत अधीन है निष्ठा के।

सैयद अली हमदानी की ग़ैरतः–

हज़रत सैयद मीर अली हमदानी आरिफ बिल्लाह (अल्लाह को पहचानने वाले) थे, आशिके खुदा थे आशिके रसूल थे। खुदा शनास, दीन के मिजाज आशना (धार्मिक भाव से अवगत) और नब्बाज (सही समझ रखने वाले) थे। इसलिए आपको दीन के बारे में गैरत भी ऐसी थी कि लाखों, करोड़ों आदमियों में ऐसी नहीं होती। उन्होंने सुना कि कश्मीर एक लम्बी चौड़ी घाटी है, वहां के लोग खुदा से नाआशना (अनभिज्ञ) हैं, वहां खुदा के सिवा, सृष्टा के अलावा, एक खुदा के सिवा बहुत सी चीज़ें पूजी जा रही हैं। बुतों की परस्तिश होती है। कुछ चीजें जमीन के अन्दर हैं, कुछ ज़मीन के ऊपर हैं, कुछ खड़ी हैं, कुछ लेटी हैं, लोगों ने जिसमें जरा सी ताक़त देखी नफा व नुकसान पहुंचाने की योग्यता देखी, कोई विशिष्ट बात देखी, थोड़ी सुन्दरता देखी, उसी के सामने झुक गये। मेरा विचार है कि अगर वह यहां न आते तो शायद खुदा और उसका रसूल उनका दामन न

पकड़ता, इसलिए कि वह जहां रहते थे वहां से ले कर इस कश्मीर घाटी तक बड़े–बड़े दीन के सेन्टर्स, रूहानी केन्द्र थे। हिमालय के दामन में पूरा हिन्दुस्तान पड़ा हुआ था जहां हज़ारों आलिम, सैकड़ों मदरसे और खानकाहें थीं। लेकिन साहसी यह नहीं देखते कि अकेले हमारा यह कर्तव्य बनता है कि नहीं? वह इसे अपनी ड्यूटी समझ लेते हैं। हज़ार कोई उनको रोके, उनके रास्ते पर हजार रुकावटें खड़ी कर दे, पहाड़ उनके रास्ते में आ जाएं, नदी–नाले पड़ें, वह किसी की भी परवाह नहीं करते। मानो एक आसमानी आवाज़ थी जो उन्होंने सुनी कि सैयद! कश्मीर जाओ और वहां तौहीद फैलाओ।

सैयद अली हमदानी ने साफ महसूस किया कि मैं अल्लाह के सामने उत्तरदायी हूं। मैदाने हश्र सामने है और अर्शे खुदावन्दी (अल्लाह का सिंहासन) मौजूद है, उसके साये में नबी व अवलिया खड़े हैं और वहां से सवाल होता है कि सैयद अली! तुम को मालूम था कि मेरी पैदा की हुई जमीन के एक क्षेत्र में गैर अल्लाह की पूजा व परस्तिश हो रही है, गैर अल्लाह के सामने हाथ फैलाये जा रहे हैं, तुमने इसको कैसे सहन किया? मीर सैयद अली हमदानी के सामने तो यह दृश्य था। अगर सारी दुन्या के बड़े–बड़े विद्वान एकत्र हो कर समझाते कि हज़रत! आपसे सवाल नहीं होगा। लेकिन वह कहते कि नहीं। मुझ ही से यह सवाल होगा। मेरी गैरत और लज्जा यह सहन नहीं कर सकती कि अल्लाह की विशाल धरती के एक छोटे से हिस्से में भी गैर अल्लाह की परस्तिश हो गैर अल्लाह से भय और आशा का मामला हो, इन्सानों को (चाहे ज़िन्दा हों, चाहे मुर्दा) किस्मत को बनाने और बिगाड़ने वाला समझा जाता हो, औलाद और रोजी देने वाला समझा जाता हो, उनको हर जगह हाज़िर व नाज़िर (सर्वव्यापी) जानते हों। अगर मुझे मालूम हो गया कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में या हिमालय की उच्च हरी चोटी पर एक जीव भी ऐसा है, जो ग़ैर अल्लाह की परस्तिश कर रहा है, गैर अल्लाह को नफ़ा नुक़सान पहुंचाने वाला समझता है, गैर अल्लाह को सृष्टि पर शासन करने वाला समझता है तो मेरा फर्ज़ है कि मैं वहां पहुंचूं और अल्लाह का पैग़ाम पहुंचाऊँ। ***याद रखो! अल्लाह फरमाता है:–***

अनुवादः– *'उसी का काम है, पैदा करना, और उसी का काम है हुक्म चलाना'' (सूरः अल अअ़राफ़–54)*

ऐसा नहीं कि पैदा तो उसने किया मगर हुक्म किसी और का चल रहा है। उसने अपनी सल्तनत किसी के हवाले कर रखी है, कि हमने पैदा कर दिया, तुम हुकूमत करो ख़ालिक़ (रचयिता) भी वही है, हाकिम और प्रशासक भी वही है, ऐसा नहीं कि जैसे ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, तुर्किस्तान आदि से कारीगर बुलाये, कारीगरों ने अपनी

कारीगरी दिखाई, वह आये और चले गये, अब ताजमहल पर जिसका दिल चाहे राज करे, हुकूमत करे, तख़्त बिछाए, तोड़े बनाए।

यह दुन्या ताजमहल नहीं है, यह दुन्या कुतुब मीनार नहीं है। यह दुन्या कोई पुरातत्व विभाग का अजायबघर नहीं है। यह खुदा की पैदा की हुई दुन्या है, सारी व्यवस्था उसकी मुट्ठी में है, यह छोटा सा कारखाना भी यहां का उसने दूसरे के हवाले नहीं किया है। उसकी बादशाही आसमान व जमीन सब पर हावी है। उसका सिंहासन पूरी सृष्टि पर हावी है। यह पृथ्वी का ग्रह क्या है, सारे ग्रहों, सारी आकाशगंगा, सारा सौर मण्डल, यह सब उसी के कब्ज़े में है।

इस ग़ैरत का एक नमूना यह है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का अन्तिम समय करीब आया तो आपने खानदान के सब लोगों बेटों, पोतों, नवासों को एकत्र किया और कहा प्रियजनो! मेरी पीठ कब्र से नहीं लगेगी, जब तक मुझे तुम यह संतुष्टि न दिला दोगे कि मेरे दुन्या से चले जाने के बाद किस की इबादत और परिस्तश करोगे? उन लोगों ने सीना ठोक कर कहा कि आप आशंका न करें, हम आप ही के माबूदे बरहक़ (सच्चे उपास्य) और आपके बाप–दादा इब्राहीम व इस्माईल व इस्हाक़ अलैहिस्सलाम के माबूद वहदहू लाशरीक की इबादत करेंगे।

अनुवादः– *'' तो उन्होंने कहा! हम आपके मअ़बूद (उपास्य) और आपके पूर्वज (बाप–दादा) यानी इब्राहीम, इस्माईल और इस्हाक़ के मअ़बूद की इबादत करेंगे– जो अकेला मअ़बूद (उपास्य) है और हम तो उसी के फ़रमांबरदार हैं। (सूरः अल बक़रह–133)*

अब्बा जी! दादा जी! नाना जी! आप क्यों हम से यह सवाल कर रहे हैं? आप को किस बात का खटका है? आप संतोष रखिए, आपने बचपन से जिस तरह हमें दीक्षा दी है और तौहीद का पावन बीज दिल की नर्म ज़मीन में बोया है, उससे हम हट नहीं सकते। हम आपके मअ़बूदे बरहक़, एक अल्लाह ही की परस्तिश करेंगे जिसकी इब्राहीम व इस्माईल व इस्हाक़ परिस्तश करते थे। उस वक्त उनको इतमीनान हुआ और दुन्या से खुश खुश विदा हुए। यह औलिया (अल्लाह के मित्र) महान इस्लाम प्रचारक, बुजुर्ग हज़रात उन्हीं पैग़म्बरों के वारिस और उत्तराधिकारी हैं। याकूब अलैहिस्सलाम को खटका इसी बात का था कि मेरी औलाद शिर्क के जंजाल में उसी तरह न फंस जाए, जैसे हज़ारों ख़ानदान और सैकड़ों क़ौमें (अपने संस्थापकों और धर्म प्रचारकों के बाद) फंस गयीं। यह पैग़ाम है खुदा का जो हर पैग़म्बर ले कर आया। खुदा के वलियों ने दुन्या को सुनाया और सुधारकों ने हर युग के लोगों तक पहुंचाया फ़तेह (कामयाबी) की शर्त यही है, इज़्ज़त व ताक़त की शर्त यही है, उसी के सामने हाथ फैलाएं, उसी से दिल लगाएं। अल्लाह तआला फरमाता हैः–

अनुवादः– *''जिन लोगों ने बछड़े को अपना मअ़बूद बनाया, वे अपने रब की ओर से ग़ज़ब (कोप) और दुन्यावी ज़िन्दगी में ज़िल्लत में फंस कर रहेंगे। और झूठ गढ़ने वालों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं।*

(सूरःअलअ़राफ–152)

मुमकिन है, लोग यह कहते हैं कि हमने गोसाला परस्ती कब की? इससे हजार बार तौबा, ऐसी मूर्खता हम कब कर सकते थे? तो अल्लाह ने अपनी इस आख़िरी किताब में इसका जवाब दिया, और यह कह कर कि हम इसी तरह बुहतान बांधने वालों को सज़ा देते हैं। तमाम मुश्रिकाना अक़ायद व आमाल (विश्वास और कर्म) को शामिल फ़रमा लिया कि मुश्रिक की बुन्याद हमेशा मनगढ़न्त किस्से कहानियों और निराधार बातों पर होती हैं और वह दोनों जुड़वा बच्चे की तरह होते हैं इसी लिए अल्लाह तअ़ाला शिर्क का ज़िक्र करते हुए फरमाता हैः–

अनुवादः– *तो मूर्तियों की गन्दगी से बचो, और झूठी बात से बचो। (सूरः हल हज–30)*

शिर्क को अल्लाह ने साफ–साफ 'महान बुहतान' की संज्ञा दी है–

अनुवादः– *और जिसने अल्लाह का साझीदार बनाया तो उसने एक बहुत झूठ गढ़ लिया।*

(सूरः अं–निसा–48)

❖❖❖

..... जारी.....

ईदुल फित्र .....

और सब नमाज़ी भी साथ में दुआ मांगते हैं खुत्बों के पश्चात हमारे मुल्क में अक्सर जगहों पर लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। इस गले मिलने को कुछ उलमा बिदअ़त बताते हैं और गले नहीं मिलते, मैं तो इसको बरदाश्त करता हूं मैंने रियाज़ में ईद की है मैंने सऊदियों को गले मिलते देखा तो मैने कहा कि हमारे यहां के उलमा इसे बिदअत बताते हैं, जवाब मिला अ़ल बिदअतु फिल, इबादति लैसत फिल आदति (बिदअ़त इबादत में है आदत में नहीं) इस बात के बाद मैंने अपना मामूल बदल दिया और ईद मिलने वालों को नहीं रोका और मुझ से जो गले मिला मैं खुशी से उससे मिल लिया।

नमाज़ के पश्चात लोग घर वापस होते हैं संभव हुआ तो रास्ता बदल के लौटते हैं अन्यथा उसी रास्ते से लौटने में कोई हरज नहीं।

ईदगाह से वापस होने के पश्चात लोग एक दूसरे के घर जा कर सलाम करते हैं मुबारकबाद पेश करते हैं और सिवय्यां और चाट आदि खा कर खुशियां मनाते हैं।

एक हिन्दू भाई ने मुझ से कहा आप लोगों की यह ईद कितनी शांति मय है हर एक के शरीर पर अच्छे कपड़े हैं हर एक के शरीर से सुगन्ध निकल रही है हर एक का मुंह मीठा है, हर एक खुश है यही वास्तविक ईद है यह खुशी मदिरा पी कर नाचने गाने बजाने हुल्लड़ मचाने की झूठी प्रसन्नता से कहीं अच्छी प्रसन्नता है।

❖❖❖

आदर्श शासक

—मौलाना अब्दुस्सलाम क़िदवाई नदवी —अनुवादः अतहर हुसैन

दूसरे ख़लीफा हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि0 का शासन काल

दवा के लिए जनता की मान्यताः-

यहां तक तो क़र्ज का मामला था। आपकी एहतियात तो यहां तक थी कि इसे भी गवारा न किया कि दवा के लिए भी बैतुलमाल से कोई वस्तु यों ही ले लें। मान्यता प्रदान किए हुए दैनिक वेतन के अतिरिक्त जब कि और वस्तु की आवश्यकता पड़ती तो जब तक सर्वसाधारण की स्वीकृति न पा लेते, प्रयोग में न लाते। एक बार की घटना है कि आप सख़्त बीमार पड़े इलाज के लिए हक़ीम से परामर्श किया तो उसने राय दी कि शहद का सेवन करें, इससे कष्ट दूर हो जायेगा। उस समय शहद बैतुमलाम में प्रयाप्त मात्रा में था। यदि आप कुछ तोले प्रयोग कर लेते तो कोई हर्ज न था। परन्तु आपने इतनी तुच्छ मात्रा भी स्वयं खर्च करना पसन्द न किया बल्कि आपने घोषणा करवा कर लोगों को एकत्रित किया। जब सब लोग आ गए तो आपने उनके सम्मुख अपनी दशा बयान कर के प्रार्थना की कि औषधि हेतु शहद प्रयोग करने की अनुमति दी जाये। जब लोगों ने अनुमति दे दी तब कहीं आपने शहद को हाथ लगाया।

जन सेवा की इसी भावना की बिना पर आपने राजकर्मचारियों के प्रति आम घोषणा करा दी कि वह जनता के सेवक हैं। जब किसी अधिकारी की नियुक्ति करते तो उसको चेतावनी देते कि महीन कपड़े न पहनना, मैदा प्रयोग न करना, द्वार पर कोई द्वारपाल न बैठाना वरन् दुखियों के लिए हर समय द्वार खुले रखना ताकि जब उन्हें आवश्यकता पड़े तो निःसंकोच तुम्हारे पास आ सकें।

जब किसी अधिकारी को किसी पद पर नियुक्त करते तो उसके पास उस समय जो धन तथा सम्पत्ति होती उसकी सूची तैयार कराते और उसे अपने पास रख लेते। फिर उस व्यक्ति की भिन्न—भिन्न अवस्थाओं का भली—भांति अध्ययन करते रहते। अगर ऐसा अनुभव होता कि उसने अपने अधिपत्तिकाल में बहुत धन एकत्र कर लिया है तो उसका आधा माल बैतुलमाल में दाखिल कर देते।

यह कदापि गवारा न था कि राजकर्मचारी किसी भांति भी जन—साधारण की अपेक्षा सुख का जीवन व्यतीत करें। सीरिया देश की यात्रा के अवसर पर जब आपने देखा कि पदाधिकारियों के शरीर पर नर्म, बहुमूल्य तथा सुन्दर

वस्त्र हैं तो आपने कंकरियां फेंक कर उन्हें मारीं और कहा कि इतनी जल्दी तुम्हारी अवस्था बदल गई और तुम ने भी अ़जमियों (गैर अरबों) के समान ऐसा रहन सहन अपना लिया।

एक बार आपने एक व्यक्ति को यमन का हाकिम नियुक्त किया। कुछ समय पश्चात वह आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। आपने देखा तो उसके शरीर पर शानदार वस्त्र थे और बालों में तेल लगा हुआ था। उसकी यह आनबान देख कर आप बहुत अप्रसन्न हुए और तुरन्त शानदार वस्त्र उतार कर साधारण वस्त्र पहनने का आदेश दिया।

इसी प्रकार एक मुहिम (सैन्याक्रमण) के सिलसिले में हज़रत अह़नफ़ बिन क़ैस रज़ि0 के नेतृत्व में एक दल इराक़ भेजा। उस मोर्चे पर सफलता के पश्चात वह लोग बड़ी आनबान के साथ मदीना वापस आये और आपकी सेवा में उपस्थित हुए। उनकी यह दशा देख कर आपको बहुत दुख हुआ और आपने अप्रसन्नता प्रकट करते हुए मुंह फेर लिया आपकी इस नागवारी को देख कर वह उल्टे पांव वापस आये और साधारण वस्त्र पहनकर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुए। अब उन्हें इस साधारण वेषभूषा में देख कर आप प्रसन्नचित हो गये और प्रत्येक व्यक्ति को गले से लगा लिया।

अधिकारियों को निर्देश देने के साथ ही जनता में एक आम ऐलान भी था कि अगर कोई अधिकारी तुम्हारे साथ किसी भी तरह की ज़ियादती करे तो तुरन्त ख़बर दो। इन्हें मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं भेज रहा हूं कि यह तुम्हें सताएं और तुम्हारा धन छीनें बल्कि इनके भेजने का उद्दश्य यह है कि यह तुम्हारा दीन (धर्म) सिखाएं और कुरआन तथा सुन्नत की शिक्षा दें। इस घोषणा में इसका भी विवरण होता था कि अगर वह तुम्हारे साथ कुछ ज़ियादती या दुर्व्यवहार करेंगे तो इनसे बदला लूंगा। मिस्र विजेता हज़रत अम्र इब्ने आस रज़ि0 ने कहा कि "अमीरुल–मोमिनीन! इस प्रकार तो जनता के ह्रदय से सरकार का भय उठ जायेगा। परन्तु हज़रत उमर रज़ि0 अपनी ही राय पर जमे रहे और कहा कि खुदा की क़सम मैं बदला अवश्य लूंगा। भला इस बारे में संकीर्णता कैसे बरत सकता जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्वयं अपने पवित्र व्यक्तित्व के प्रति यह मामला था तो राजकर्मचारी क्या हैसियत रखते हैं कि उनको नज़र अन्दाज़ कर दिया जाये। यह आदेश केवल नुमाइशी न था बल्कि इस पर बड़ी कठोरता पूर्वक अमल करते थे। एक बार हज के दिनों में आदेश भेज कर तमाम प्रादेशिक हाकिमों को एकत्र किया, फिर एक बहुत बड़े जनसमूह के सामने घोषणा की कि जिसको किसी अधिकारी से कोई शिकायत

शेष पृष्ठ....24 पर

–पिछले अंक से आगे

नमाज़ की हक़ीक़त व अहम्मीयत

–मौलाना मुहम्मद मंजूर नोमानी रह0

–हिन्दी लिपिः हुसैन अहमद

तादीले अरकानः–

यानी इतमीनान के साथ और ठहर ठहर कर नमाज़ पढ़ना।

अगरचे खुशूअ़ हुजूर का फहम हो जाने के बाद ''तादीले अरकान'' के मुतअ़ल्लिक़ मुस्तक़िलन लिखने की ज़ियादा जरूरत नहीं रहती, क्योंकि नमाज़ जब खुशूअ व हुजूर के साथ पढ़ी जाएगी तो लाज़िमन तादील के साथ यानी इतमीनान से और ठहर ठहर कर पढ़ी जाएगी, ताहम चूंकि आज कल इस में भी बहुत ज़ियादा कोताही की जाती है, इसलिए इसके मुतअल्लिक़ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाज़ इरशादात दर्ज करने की ज़रूरत महसूस होती है, अनुवादः ''हजरत अबू हुरैरा रज़ि0 से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, उसके बाद एक शख्स आया और उस ने नमाज़ पढ़ी फिर आकर हुजूर को सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया और फरमाया जाओ फिर नमाज़ पढ़ो तुम्हारी नमाज़ नहीं हुई (तीन बार ऐसा ही हुआ कि वह नमाज़ पढ़ कर आया और आपने दोबारा नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया) इसके बाद उसने अर्ज किया कसम अल्लाह की जिसने आपको दीने बरहक़ दे कर भेजा है मुझे इस के सिवा अच्छी नमाज़ नहीं आती, लिहाजा मुझे सिखा दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया तुम नमाज़ को खड़े होना चाहो तो पहले खूब अच्छी तरह वुजू करो फिर किब्ला रू हो कर खड़े हो जाओ, फिर नीयत कर के तक्बीर कहो, फिर कुर्आन का जो हिस्सा तुम्हें आसान हो वह पढ़ो, फिर रुकूअ़ करो और तुम्हारा रुकूअ़ इतमीनान के साथ हो, फिर रुकूअ़ से उठ कर सीधे खड़े हो जाओ फिर सज्दे में जाओ और तुम्हारा सज्दा पूरे इतमीनान से हो, फिर सज्दे से उठ कर बैठो और इस बैठने में भी इतमीनान हो, इसके बाद दूसरा सज्दा करो और यह सज्दा भी पहले की तरह इतमीनान के साथ हो फिर इसी तरह अपनी पूरी नमाज़ में करो (यानी इतमीनान के साथ और ठहर ठहर कर हर रुक्न अदा करो)।

और सहीह इब्ने खुजैमा में अबू अब्दुल्लाह अलअ़शरी रह0 से मरवी है कि वह चन्द मशाहीर सहाबा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ि0 अ़म्र बिन अल–आस रज़ि0 शरह़बील बिन हसना रज़ि0 यज़ीद बिन अबू सुफयान रज़ि0 से रिवायत करते हैं, अनुवादः ''एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा के साथ नमाज़ पढ़ी और उन की एक जमाअत के साथ आप मस्जिद ही में बैठ गए इतने में एक शख्स उन में आकर

नमाज़ पढ़ने खड़ा हो गया और लगा जल्दी जल्दी रुकूअ़ करने और सज्दे में ठोंगे सी मारने लगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसको देख रहे थे, तो आपने फरमाया ''तुम इस शख्स को देखते हो? अगर यह ऐसी ही नमाज़ पढ़ता हुआ मर गया तो दीने मुहम्मदी पर नहीं मरेगा। यह नमाज़ में ऐसी ठोंगें मारता है जैसे कौआ खून में जल्दी जल्दी चोंचें मारता है''।

(किताबुस्सलात इब्ने अल–क़य्यिम रह0)

एक और हदीस में वारिद हुआ है, अनुवाद ''बाज आदमी साठ साठ साल नमाज़ें पढ़ते हैं और फिलहक़ीक़त उन की एक भी नमाज़ नहीं होती, अर्ज किया गया कि यह कैसे? इरशाद फरमाया कि वह रुकूअ़ ठीक करते हैं तो सज्दा पूरा नहीं करते, और सज्दा पूरा करते हैं तो रुकूअ़ पूरा नहीं करते''।

और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खास राज़दार सहाबी हज़रत हुज़ैफा से मरवी है कि उन्होंने एक शख्स को नमाज़ पढ़ते देखा जो रुकूअ़ व सज्दा पूरी तरह नहीं करता था तो उससे पूछा, ''तुम कितने ज़माने से ऐसी नमाज़ पढ़ते हो? उसने कहा चालीस साल से। हज़रत हुजैफा रज़ि0 ने फरमाया तुम ने गोया नमाज़ ही नहीं पढ़ी, और अगर तुम इसी हालत में मर गए तो तुम्हारी मौत फितरते इस्लाम पर न होगी''।

क्या इन अहादीस के इल्म में आ जाने के बाद भी नमाज़ों में जल्द बाज़ी करने वाले जल्द बाज़ी से न रुकेंगे। और अगर बिल– फर्ज़ यह अहादीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यह सख्त और साफ साफ तंबीहात न भी होतीं तब भी खुद समझने और सोचने की बात थी कि जब नमाज़ अल्लाह तआला की इबादत और उसके दरबार की हुजूरी और उस से मुखातबत और मुनाजात का नाम है तो इसमें जल्दबाजी का साफ साफ मतलब यह होगा कि यह इबादत और यह हाजिरी और अल्लाह तआला से नियाज़मन्दाना और राज़दारान हमकलामी की सआदत हम को महबूब व मरगूब नहीं और इस से हम को दिलचस्पी नहीं बल्कि (मआ़ज़ अल्लाह) यह हमारे लिए कोई मुसीबत है जिससे हम जल्द से जल्द छुटकारा चाहते हैं। कोई आदमी किसी अच्छे हाल और अच्छे शुग्ल को कभी भी जल्द खत्म कर देना नहीं चाहता। पस नमाज़ों में जल्द बाज़ी करने वाले सोचें कि उनका यह तर्जे अमल नमाज़ के मौजूअ़ के किस कदर खिलाफ और खुद अपने ऊपर कितना बड़ा जुल्म है, और उन का यह फेल (काम) किस जज़ा का मुस्तहिक है।

नमाज़ में जमाअत की अहम्मीयतः–

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीम में जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने की जो अहम्मीयत है, आज कल के बहुत से नमाज़ पढ़ने वाले या तो उस से ना आशना हैं या फिर गफ़लत की वजह से उसके एहतिमाम में कोताही करते हैं।

सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम वगैरा कुतुबे हदीस में मुतअद्दिद तरीकों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह हदीस मरवी है कि जमाअत में शरीक न होने वालों के मुतअल्लिक़ आप ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए यह इरशाद फरमाया, अनुवादः ''मेरे जी में ऐसा आता है कि किसी दिन यहां नमाज़ शुरुअ करने का हुक्म दूं और नमाज़ पढ़ाने के लिए किसी दूसरे को मुकर्रर कर जाऊँ और खुद चन्द आदमियों को साथ ले कर (जिन के साथ लकड़ियों के गट्ठर भी हों) उन लोगों के घर पर पहुंच कर जो जमाअत में शरीक नहीं होते हैं उनके घरों को आग दे दूँ''।

और मुसनद अहमद की एक रिवायत में है कि, अनुवाद : ''अगर उन के घरों में औरतें और बच्चे न होते तो मैं यहां इशा की नमाज़ शुरुअ कराता और चन्द नवजवानों को हुक्म देता कि वह उनके घरों और घरों की तमाम चीज़ों को आग में जला दें''।

गोया जमाअत से नमाज़ ना पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नज़र में इतना संगीन जुर्म है कि ऐसे लोगों के घरों को आग लगा देने को आप का जी चाहता है।

और सहीह मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि0 से मरवी है कि आपने जमाअत की फज़ीलत और अहम्मीयत बयान करते हुए फरमाया कि, अनुवादः ''हम ने मुसलमानों का वह वक़्त देखा है कि जमाअत से गैर हाज़िर सिर्फ ऐसे ही मुनाफिक़ होते थे जिन का निफाक़ मालूम और मुसल्लम होता था और ऐसा होता था कि बीमार आदमी दो आदमियों के बीच में घसिटता हुआ लाया जाता था और सफ में खड़ा कर दिया जाता था और वह जमाअत से ही नमाज़ पढ़ता था''।

और शेख इब्ने अल–कय्यिम रह0 इब्ने मुन्ज़िर की किताबुल अवसत से नक़्ल करते हैं, अनुवादः ''अब्दुल्लाह बिन मसऊद और अबू मूसा अशअ़री से हम को यह रिवायत पहुंची है कि उन्होंने फरमाया, जिसने अजान सुनी और उस पर लब्बैक नहीं कहा (यानी मस्जिद में हाज़िर हो कर नमाज़ नहीं पढ़ी) तो उस की नमाज़ उस के सर से आगे नहीं जाती (यानी कबूल नहीं होती) इल्ला यह कि उसको, कोई शरई उज़्र हो''।

''और हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत किया गया है कि उन्होंने फरमाया कि किसी आदमी के कान में पिघला हुआ रांगा भर दिया जाए यह उसके लिए इससे अच्छा है कि उसके कान में अज़ान की आवाज़ आए और वह उस पर लब्बैक कहते हुए शरीक़े जमाअत न हो।

(किताबुस्सलात इब्नुल–कय्यिम)

नीज़ इसी "किताबुस्सलात" में शैख इब्ने कय्यिम रह0 ब तरीक़े अब्दुर्रज़्ज़ाक हज़रत इब्ने अब्बास के खास शागिर्द

लैस, मुजाहिद से नक़्ल करते हैं, अनुवादः ''एक शख्स ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि0 से मसअला पूछा कि एक आदमी है जो क़ाइमुललैल साइमुन्नहार है मगर जुमा और जमाअत में शरीक नहीं होता है तो आपने फरमाया कि वह जहन्नम में जाएगा इस शख्स ने फिर अगले दिन आ कर यही मसला पूछा, और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि0 ने फिर यही जवाब दिया कि वह जहन्नम में जाएगा। यहां तक कि वह साइल महीना भर तक आ कर यही मसला पूछता रहा, और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि0 एक ही जवाब देते रहे कि वह जहन्नम में जाएगा''। (किताबुस्सलात)

और शैख इब्नुल कय्यिम रह0 की इसी किताबुस्सलात में है, अनुवादः ''जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की वफात हुई और मक्के में इस की इत्तिला पहुंची तो उताब बिन उसैद रज़ि0 ने जो मक्के पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ से हाकिम मुकर्रर थे अहले मक्का को जमा कर के एक खुत्बा दिया और उसमें यह कहा कि अगर मुझे किसी के मुतअल्लिक़ यह मालूम होगा कि मस्जिद में आकर जमाअत से नमाज़ अदा नहीं करता तो खुदा की क़सम! मैं जरूर उसकी गर्दन उड़ा दूंगा''। (किताबुस्सलात इब्नुल– कय्यिम अलजौजिया)

फिल–हक़ीक़त जमाअत से नमाज़ पढ़ने की अहम्मीयत वही है जो इन अहादीस व आसार से मालूम होती है और इस्लाम हरगिज इस की इजाज़त नहीं देता कि बिला उज़्रे शरई आदमी तन्हा अपनी नमाज़ पढ़े, और वाक़िआ यह है कि जमाअत से नमाज़ पढ़ने के साथ दीन के जो निहायत अहम और आला मक़ासिद और मसालेह वाबस्ता हैं (जिन की तरफ इशारात हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी रह0 ने हुज्जतुल्लाहुल–बालिगा में भी किए हैं) उनका तक़ाजा यही है कि जमाअत के बारे में शारेअ़ का रवय्या इतना ही सख़्त हो। अलावा अजीं सहीह हदीस में वारिद हुआ है कि जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने का सवाब तन्हा पढ़ने की ब निसबत 27 गुना ज़ियादा होता है। पस सोचना चाहिए कि जमाअत की पाबन्दी न करना अपने को कितने बड़े सवाब से महरूम करना है।

सही इमाम का इन्तिख़ाबः–

नमाज़ और जमाअत के सिलसिले में जो कोताहियां आम तौर से हो रही हैं और जो ग़फ़लतें बरती जा रही हैं उनमें से एक यह है कि अपने लिए गल्ला और तरकारी बल्कि अपने जानवरों के लिए घास और भूसा खरीदते वक़्त भी आदमी अच्छाई, बुराई का जितना खयाल करते हैं बहुत सी जगह किसी को इमामे नमाज़ बनाने में उतना भी खयाल नहीं किया जाता। यह लोग जब बीमार हों तो चाहते हैं कि उनका मुआलिज कोई अच्छा तबीब और अच्छा डॉक्टर हो,

मुकद्दमा लड़ें तो कोशिश करते हैं कि किसी अच्छे होशियार और क़ाबिल वकील की खिदमात हासिल करें। लड़के को इम्तिहान पास कराने के लिए अगर ट्यूटर की जरूरत होती है तो अच्छे से अच्छा टीचर तलाश करते हैं और अगर घर के काम काज के लिए नौकर की ज़रूरत होती है तो उसमें भी सब खूबियां देखना चाहते हैं। लेकिन नमाज़ पढ़ाने के लिए (जो दर हक़ीक़त अल्लाह के दरबार में नुमाइन्दगी का मन्सब है और दीन के सब से अहम काम में रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जिम्मेदाराना नियाबत है) कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं समझी जाती।

इमामत के मुतअल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहा–बए–किराम रजि.0 का तर्जे अ़मलः–

इमामत के बाबे में इस्लाम का जो अस्ल नजरीया है वह इससे समझा जा सकता है कि जब तक दुन्या में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रौनक अफरोज़ रहे हमेशा आप ही इमामत फरमाते रहे। हत्ता की मरजुल–वफात में भी उस वक़्त तक बराबर आप नमाज़ पढ़ाते रहे जब तक कि मस्जिद में तशरीफ लाना आप के लिए मुम्मकिन रहा, फिर आखिर के तीन चार दिनों में जब मरज़ बहुत ही ज़ियादा गालिब आ गया और कैफियत यह हो गई कि आप ने कई बार मस्जिद में तशरीफ लाने का इरादा फरमाया और हर दफा गशी तारी हो गई तो आपने हुक्म दिया कि अबू बक्र नमाज़ पढ़ाएंगे, गोया खुद माजूर होने की सूरत में इमामते नमाज़ के लिए आप ने उसी शख्स को मुतअय्यन फरमाया जो सारी उम्मत में अफ्ज़ल था बल्कि सहा– बए–किराम ने हुजूर के उसी तर्जे अमल से यह नतीजा निकाला कि अबू बक्र रजि़0 ही हम सब में अफ़्ज़ल व आला, सबसे ज़ियादा लाइक़ और सबसे ऊँची सलाहियतें रखने वाले हैं, और इसी बुन्याद पर खिलाफत के लिए मुत्तफिका तौर पर आप का इन्तिखाब किया गया।

हज़रत अबू बक्र रजि़0 के बाद हज़रत उमर फारूक़ रजि़0 सबसे अफजल थे, चुनांचे वफाते सिद्दीक़ी के बाद अपनी फज़ीलत की बिना पर वही खलीफा हुए और अबु लूलू के खंजर से ज़ख्मी होने के वक़्त तक बराबर खुद ही मस्जिदे नबवी में इमामत भी फरमाते रहे।

बहर हाल इस्लाम ने तो यही बतलाया था कि तुम में इल्म व अमल और तक़्वा के लिहाज से जो सबसे आला हो वही तुम्हारा इमामे नमाज़ हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमारे लिए अमली मिसाल भी यही छोड़ी थी लेकिन वाये बरहाले मा! अब कैफीयत यह है कि जो दो चार फीसद मुसलमान नमाज़ें पढ़ते भी हैं उनमें से जो एक दो फीसद जमाअत से पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं उनमें भी ज़ियादा अहल और ज़ियादा सालेह को इमाम बनाने का एहतिमाम बाकी नहीं रहा। सिवाए उसके जिस को अल्लाह तौफीक दे।

जारी.....

❖❖❖

इस्लाम और मुसलमानों के दिफाअ़ का अहम मोरचा
(इस्लाम और मुसलमानों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण मोरचा)

—हज़रत मौलाना सय्यिद मुहम्मद राबे हसनी नदवी —हिन्दी लिपिः हुसैन अहमद

मुसलमानों की समाजी, नैतिक और दीनी (धार्मिक) तथा इस्लामी पत्रकारिता शुद्ध इस्लामी समाज के निर्माण तथा गैर मुस्लिमों के मन मस्तिष्क में जो इस्लाम के विषय में भ्रांतियां बैठी हुई हैं उनको दूर करने के प्रयास में लगी हुई हैं परन्तु त्रुटियों के समुद्र में उस की गिन्ती ही क्या है, स्वयं मुसलमानों के अन्दर इस प्रयास का क्षेत्र सीमित है तथा गैर मुस्लिमों में तो मुसलमानों के इस प्रयास की आवाज़ दूर दूर तक नहीं जाती। दूसरी ओर इस्लामी संस्थाएं और दल हैं जो इस्लाम की भुलाई हुई श्रेष्ठता को लौटाने के प्रयास में लगी हुई हैं जिनके लाभों को नकारा नहीं जा सकता, और जीवन के क्षेत्र में किसी सीमा तक इसके लाभों का आभास भी हो रहा है, परन्तु संस्थाओं के आन्दोलनों के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह है कि वह वर्तमान कपट पूर्ण प्रवृत्तियों को कहां तक प्रभावित कर पा रही हैं?

आज की प्रथम आवश्यकता यह है कि इस्लामिक गुणों तथा लाभों को सर्वजनों तक पहुंचाया जाए तथा इस्लाम के गुणों तथा लाभों को संसार के लोगों के सामने इस प्रकार लाया जाए कि वह इस्लाम के गुणों को मानने लगें, इस भ्रांति पूर्ण विचार को गैरों के मस्तिष्क से दूर किया जाए कि इस्लाम उत्पात तथा बर्बरीयत की शिक्षा देता है अपितु सिद्ध किया जाए कि इस्लाम मानवता का वाहक है और मानव को मनवता की शिक्षा देता है, इस्लाम से शत्रुता रखने वाले इस्लाम को बदनाम करने के लिए भ्रांतियां फैलाते हुए इस्लाम को मानवता रहित सिद्ध करने में लगे हुए हैं और अपने पथ भ्रष्ट विचारों के समर्थन में मुसलमानों के उन गलत आमाल (कर्मों) को प्रस्तुत करते हैं जिन का इस्लाम से कोई सम्बन्ध नहीं होता, दूसरी ओर मुसलमानों का यह हाल है कि वह इस्लाम की श्रेष्ठता तथा उत्तम नैतिकता के प्रकाशन तथा प्रसारण में कोई विशेष रुचि नहीं ले रहे हैं तथा इस्लाम की सत्यता नेतृत्व योग्यता और उसको मानवता के लिए करुणा सिद्ध करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और न उस के सभ्यता, नैतिकता तथा राजनीति के क्षेत्र में उसकी प्रत्यक्ष कीर्तियों का वर्णन करने में कोताही कर रहे हैं, अपितु मुसलामनों के गैर मुस्लिम पड़ोसी इस्लाम के विषय में और उसके गुणों के विषय में कुछ नहीं जानते उस का कारण हमारी कोताही है।

पश्चिमी देशों में गैर मुस्लिम लोग हम मुलसमानों विशेष कर अरब मुसलमानों पर यह आरोप लगाते हैं कि वह प्रतिक्रियावादी तथा बर्बर होते हैं जिनके जीवन का उद्देश्य अधिक से अधिक शादियां करना और बीवियों को तलाक़ देना है, इसी

प्रकार स्त्रियों पर अत्याचार करना और उन को मानवीय अधिकारों से वंचित करना उन का मुख्य स्वभाव है। रक्तपात उन का प्रिय कार्य है, इसी प्रकार उपमहाद्वीप के गैर मुस्लिमों के मस्तिष्क में इस्लाम के विरुध विष भरा जा चुका है, उनको यह समझा दिया गया है कि मुसलमान गन्दे तथा अपवित्र होते हैं, नारियों के अधिकारों का हनन करते हैं तथा उन पर अत्याचार करते हैं यद्यपि इस्लाम के विषय में थोड़ा भी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति इस बात को भली भांति जानता है कि स्वच्छता तथा पवित्रता के विषय में मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों में क्या अन्तर है, नारियों के संग मुसलमानों के यहां क्या व्यवहार होता है? मुसलमान औरतों को रानी का दर्जा देते हैं जब कि गैर मुस्लिम उनको श्रमिक बना के रखते हैं परन्तु गैरमुस्लिम इस की अन्देखी करते हैं उनकी इस मनोवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है इस मनोवृत्ति के बदलने का उत्तरदायी कौन है प्रत्यक्ष है यह उत्तरदायित्व हम मुसलमानों ही का है, मुसलमानों ने हिन्दुस्तान पर सात शताब्दियों तक शासन किया, परन्तु गैर मुस्लिमों के मस्तिष्क में उन सात शताब्दियों के विषय में यही भरा गया कि मुसलमान शासक रक्तपात करते रहे मन्दिरों को मस्जिदों में बदलते रहे, इन भ्रान्तियों दुर्भावनाओं को दूर करने का उत्तरदायित्व किस पर है? क्या शिक्षित मुसलमान इसके उत्तरदायी नहीं हैं कि गैर मुस्लिमों के मस्तिष्क से इन भ्रांतियों तथा आशंकाओं को दूर करें? पूरे संसार में इस्लाम विरोधी पत्रकारिता इस्लाम के विरोध में जो विष फैला रही है, इस विष के निवारण हेतु विष निवारक औषधि उपलब्ध करें, उन प्रोपेगण्डों को आधार रहित सिद्ध करें, परन्तु बड़े खेद की बात है कि इस्लाम और मुसलमान की सुरक्षा का यह महत्वपूर्ण मोरचा इस्लाम के साहसी वीरों से खाली है। अतः मुस्लिम विद्वानों का कर्तव्य है कि वह आगे आएं और इस अहम मोरचे को संभालें।

◆◆

मजहूल ज़ेर

मजहूल ज़ेर की आवाज़ ए की मात्रा की आधी होती है हिन्दी में इसके लिए कोई चिन्ह नहीं है। हम मजहूल ज़ेर को 'ए' की मात्रा से लिखते हैं, जैसेः सालेह, फ़ातेह, वाज़ेह आदि।

फारसी की मुरक्कब इज़ाफी व तौसीफ़ी के पहले शब्द के अन्त में इसी प्रकार 'ए' की मात्रा लगाते हैं।

जैसेः- किताबे खुदा, कुर्आने पाक, रसूले पाक, नबीये रहमत आदि। अलबत्ता फारसी की तरकीब के पहले शब्द के अन्त में हाए मुख्तफ़ी होता है तो उसको इस प्रकार लिखते हैं'-

बन्-दए-ख़ुदा, सज-दए-तिलावत, रिश-तए-निकाह, खा-नए-खुदा आदि।

हम मजहूल ज़ेर इस तरह लिखना ग़लत समझते हैं जैसेः रसूल-ए- पाक, कुर्आन-ए-पाक।

इसी प्रकार हाए मुख़्तफी वाली तरकीबें इस तरह लिखना गलत समझते हैं। जैसेः- सज्दा-ए-तिलावत, बन्दा-ए-खुदा आदि। ◆◆

तागूती और शैतानी निज़ाम का मुक़ाबला

(अशुरी तथा शैतानी व्यवस्था की संमुखता)

—मौलाना मुहम्मद हमज़ा हसनी नदवी —हिन्दी इम्ला हुसैन अहमद

आज कल की परिस्थिति में हमारा दीनी तथा इस्लामी उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया, जीवन के हर क्षेत्र में मुसलमानें को दबाया जा रहा है, उनकी मस्जिदों तथा मदरसों पर आक्रमण हो रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है कि मुसलमानों की धार्मिक (दीनी) तथा सांस्कृतिक (सकाफती) पहचान को मिटा दिया जाए, और उन को इस योग्य न रखा जाए कि वह सम्मानित क़ौम की भांति जीवन यापन कर सकें और उनकी आर्थिक दशा इतनी नीची कर दी जाए कि वह अपने विकास के विषय में खुद विचार करने के योग्य न रहें।

इन कठिन परिस्थितियों में हम को बड़ी चिन्तन तथा ध्यान के साथ प्रयास करने की आवश्यकता है उत्तेजित हो कर उत्तेजन तथा क्रोध से बचना चाहिए साथ ही अपने मदरसों, मस्जिदों तथा अपनी आधुनिक शिक्षा की संस्थाओं की सुरक्षा में लोह भीत (आहनी दीवार) बन जाना चाहिए ताकि षडयंत्र रचने वालों तथा शत्रुओं की समझ में आ जाए कि यह कार्य इतना सरल नहीं है परन्तु इस संमुखता हेतु मुसलमानों में पारस्परिक एकता अनिवार्य है, निजी लाभ तथा हानि को भुला कर और अल्लाह तआला पर सम्पूर्ण भरोसा कर के ही इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। साहस हीनता तथा कायरता त्याग कर निजी हानि तथा लाभ लालसा रहित हो जाने ही में इस समस्या का समाधान है।

इस समय संसार में मुसलमान अत्याचारों का निशाना बने हुए हैं, यह नहीं कि उनका रक्त बहाया जा रहा है, अपितु उनकी सभ्यता नागरिकता तथा धार्मिक पहचान (मजहबी शिआ़र) को मिटाने का भरपूर प्रयास हो रहा है, इस्लामिक देशों के शासक इस विषय में यूरोप तथा अमरीका के यंत्र तंत्र बने हुए हैं और इस्लामिक नागरिकता तथा सभ्यता को मिटाने में अमरीका और यूरोप की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उनसे भी आगे हैं तूनिस के अध्यक्ष ने मुस्लिम स्त्री को गैर मुस्लिम मर्द से विवाह करने की अनुमति दे दी है, इस्लामिक मृत अधिकार (वरासत) के कानून को बदलने का आदेश दे दिया है और कहा है कि मध्यता प्रिय इस्लाम को प्रचलित करना उसका उद्देश्य है और जो लोग उस का विरोध कर रहे हैं उनको आतंकी तथा कट्टरपंथी बता कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की धमकी दी जा रही है वह मूर्ख अल्लाह के इन आदेशों को भुला बैठा है कि ''जो शासक अल्लाह के उतारे हुए विधान के अनुकूल आदेश न दे वह काफिर है, अत्याचारी है, अल्लाह की अवज्ञा करने वाला है।

देखिए सूरे माइदा की आयत (सूरः माइदा—44—46)

इसी प्रकार बाज अरब देशों में जहां शरीअत (इस्लामिक विधान) का प्रचलन था और लोग इस्लाम के अनुकूल जीवन यापन कर रहे थे, वहां मध्य प्रियता का नाम ले कर अधर्म तथा नास्तिकता (इल्हाद व कुफ्र) को प्रचलित किया जा रहा है, और इस विषय में अमरीका के आदेशों का पालन किया जा रहा है। स्त्रियों को घर के पर्दे से निकाल कर सड़कों पर लाया जा रहा है, उनको इस्लामिक जीवन से हटा कर असुरी (तागूती) दासता में लाया जा रहा है और यह सब कुछ मध्य प्रियता के नाम से किया जा रहा है।

इस समय हम मुसलमानों पर अधिक उत्तरदायित्व आ गया है कि अपने दीन, इस्लामिक सभ्यता इस्लामिक जीवन व्यवस्था की सुरक्षा के लिए जो संभव हो वह करें, तथा आने वाली असुरी तथा शैतानी व्यवस्था की संमुखता करें और उस को मुस्लिम समाज में कभी भी प्रचलित न होने दें। ◆◇◆

आदर्श शासक .....

हो, बयान करे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहा कि आपके अमुक अधिकारी ने अकारण सौ कोड़े मारे हैं। हज़रत उमर रज़ि0 ने इसका बयान सुन कर आज्ञा दी कि उठ कर हाकिम को सौ कोड़े मार ताकि बदला हो जाये। यह आदेश सुन कर तमाम हुक्काम थर्रा उठे। हज़रत अम्र इब्न आस रज़ि0 ने चाहा कि इस आदेश का दुबारा विचार किया जाये परन्तु अ़दले फ़ारूक़ी में न्याय पक्षपात के बारे में पक्षपात नहीं था। उनकी दृष्टि में शासक तथा शासित समान थे और ईश्वरीय आदेशों के बारे में किसी को किसी पर श्रेष्ठता न थी। अन्ततः इस हाकिम ने उस व्यक्ति को बहुत सा धन दे कर उससे अपना अपराध क्षमा कराया तब कहीं जा कर छुटकारा मिला।

एक बार रास्ते में गुज़र रहे थे, कान में आवाज़ आई, ''उमर! ईश्वर को क्या उत्तर दोगे, तुम्हारा अधिकारी मलिक इब्ने ग़नम मिस्र में तुम्हारी अवज्ञा कर रहा है। द्वार पर द्वार पाल नियुक्त है, शरीर पर महीन कपड़े हैं। यह सुन कर आपने मुहम्मद बिन मुसैलमः को मिस्र की ओर रवाना किया और आदेश किया कि सावधानी पूर्वक परिस्थिति की जांच करें। मुहम्मद बिन मुसैलमः पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि शिकायत ठीक है। आदेशानुसार मलिक बिन ग़नम मदीना हाज़िर हुए, यहां हज़रत उमर रज़ि0 ने उन्हें एक कम्बल का कुरता दिया कि इसे पहन कर जंगल जाओ और बकरियां चराओ। मलिक आमोद–प्रमोद का जीवन व्यतीत करने के अभयस्त हो चुके थे, उस अमीराना ठाट–बाट के बाद कम्बल का कुरता पहन कर बकरियां चराना उनके लिए दुःसाध्य था कहते थे हाय ऐसे जीवन से मृत्यु भली। हज़रत उमर रज़ि0 ने कहा, ''इसमें अप्रसन्नता की क्या बात है'' तुम तो ग़नम के पुत्र हो, उनका नाम ग़नम इसीलिए तो था कि वह बकरियाँ चराया करते थे।

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर?

—मुफ़्ती ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः गवर्नमेंट की जानिब से बहुत कम शरह (रेट) पर बे रोज़गार और मआ़शी (आर्थिक) एतिबार से पसमांदा (पिछड़े हुए) लोगों को बैंक के जरिये सूदी क़र्ज फराहम किया जाता है, जिसके जरीये लोग अपने कारोबार शुरुअ़ करते हैं, तो क्या बेरोजगार, मुफलिस (निर्धन) व पसमांदा मुसलमानों के लिए इन्तिहाई मामूली शरह सूद पर कर्ज दिलाना या खुद लेना दुरुस्त होगा?

उत्तरः सूद लेना और देना दोनों ही सख्त गुनाह की चीज़ है जो आम हालात में जाइज़ नहीं है, अलबत्ता हुकूमत शहरियों को रोज़गार के लिए मामूली शरह सूद पर क़र्ज फराहम करती है, उस का मक़्सद शहरियों को सहारा देना होता है और बहैसीयत शहरी मुसलमानों का भी इस लाभकारी इस्कीम पर हक़ है, लिहाजा जो मुसलमान वाकई बे रोज़गार हैं और मआशी एतिबार से इस सतह पर हैं कि खुद अपने पैसों से कोई रोज़गार शुरुअ़ नहीं कर सकते तो उन के लिए बहुत मामूली शरह पर क़र्ज हासिल करना जाइज़ है, फुक़्हा ने ऐसे जरूरतमन्दों और मुहताजों के लिए सूदी क़र्ज लेने की गुंजाइश बयान की है, इब्ने नजीम मिसरी लिखते हैं, अनुवादः ''मुहताज के लिए सूदी क़र्ज लेना जाइज़ है''।

(अल—इशबाह वन्नजाइरः294)

प्रश्नः कोई शख्स रिक्शा और कार वगैरा खरीदना चाहता है, लेकिन इस में बैंक का ज़रीआ इख्तियार करना पड़ता है जिस की तफ्सील यह है कि रिक्शा अगर बराहे रास्त नक्द खरीदा जाए तो मसलन तीस हज़ार में मिलता है, और अगर बैंक के वास्ते से खरीदा जाए तो बत्तीस हज़ार में मिलता है इस शक्ल में रिक्शा की चौथाई क़ीमत नक़्द और बक़ीया रक़म क़िस्त वार अदा करनी होती है, तो क्या इस तरीक़े से बैंक के जरीये रिक्शे और गाड़ियों की खरीदारी दुरुस्त होगी?

उत्तरः अगर मुआमला इस तरह हो कि बैंक कम्पनी से रिक्शा या गाड़ी वगैरा खरीदार को बत्तीस हज़ार में फरोख्त करे, जिस की क़ीमत का एक चौथाई खरीदार पहले अदा करे और बक़ीया रक़म किस्तवार अदा करे तो इस में कोई हरज नहीं है।

(तातार खानियाः 2/269)

प्रश्नः मकान बनाने या जानवर खरीदने के लिए सरकार की तरफ से एक ऐसा लोन मिलता है जिसमें से दो हिस्से वापस करने पड़ते हैं और एक हिस्सा मुआफ कर दिया जाता है, क्या शरीअत में इस तरह का लोन हासिल करके मकान बनाना या जानवर खरीदना जाइज़ है?

उत्तरः लोन की यह इस्कीम दर अस्ल मकान से महरूम (वंचित) और मआश से परेशान शहरियों के लिए सरकार की तरफ से तआवुन की शक्ल है और यही वजह है कि लोन में वापस की जाने वाली रक़म की कुल मिक़्दार, उसकी मिलने वाली मिक़्दार के बराबर या उससे कम होती है, बिला शुब्हा उसको लेना मुसलमान के लिए भी दुरुस्त है।

(अल इशबाह वन्नजाइरः294)

प्रश्नः बैंक का कारोबार बुन्यादी तौर पर सूदी होता है जिसमें रक़म जमा करना या उससे लेना जाइज़ नहीं? तो फिर मुसलमान अपनी रक़म की हिफाज़त के लिए क्या शक्ल इख्तियार करें?

उत्तरः मुसलमान अपनी रक़म की हिफाज़त बैंकों के ''करन्ट एकाउन्ट'' में रख कर कर सकते हैं, और अगर सेविंग एकाउन्ट में रखें और उस पर जो सूद मिले तो उस सूद को अपने काम में न लाएं बल्कि गरीबों मुहताजों पर खर्च करें, सूद खाने को कुर्आन में मना किया गया है।

(सूरः आले इमरान आयत–130)

प्रश्नः मकान की तामीर की मन्जूरी बगैर रिशवत दिए नहीं मिलती, क्या बैंक के सूद से रिशवत दे कर काम निकाला जा सकता है?

उत्तरः तामीरे मकान के लिए जो क़ानूनी लवाज़िम हैं, उन को पूरा करने के बावजूद कोई अफ्सर महज रिशवत के लिए तामीरे मकान की इजाज़त नहीं देता है तो ऐसी सूरत में अपना जाइज़ हक हासिल करने के लिए रक़म देने की गुन्जाइश है, तर्जुमाः ''जालिम हाकिम के जुल्म से बचने और अपना हक़ हासिल करने के लिए उसको कुछ माल देना रिशवत नहीं है''।

(रद्दुल मुहतारः 9/607)

लेकिन उसमें सूद की रक़म नहीं दी जा सकती क्योंकि सूद की रक़म हुकूमत से हासिल की जाती है और रिशवत एक सरकारी अफसर शख्सी तौर पर हासिल करता है, हुकूमत हासिल नहीं करती, इसलिए बैंक का सूद उस मद में देना जाइज़ नहीं।

प्रश्नः मौजूदा दौर में एक तब्क़ा ऐसा है जो तजर्रुद (यानी शादी न करके तन्हा रहने) की जिन्दगी को पसन्द करता है और उसकी तरगीब (प्रलोभन) भी देता है, इसलिए यह बताएं कि इस्लाम में निकाह की क्या हैसीयत है, क्या बगैर निकाह किए जिन्दगी गुजारने में कोई हरज है?

उत्तरः जो शख्स जिस्मानी कूवत के साथ नान व नफ्क़ा (रोटी कपड़ा) अदा करने पर क़ादिर हो और निकाह न करने की सूरत में गुनाह में पड़ने का अन्देशा महसूस करता हो तो उस के लिए निकाह करना फर्ज़ है। (बदाए व सनाएः 2/483) और अगर गुनाह में पड़ने का अन्देशा न हो बल्कि मोतदिल कैफीयत हो तो भी निकाह सुन्नते मुअक्किदा से कम नहीं, इस्लाम तजर्रुद की जिन्दगी को पसन्द नहीं

करता बल्कि निकाह करने को सवाब का काम समझता है, फुक्हा ने लिखा है कि अगर बेहतर नीयत से निकाह करे तो सवाब का मुस्तहिक़ होगा।

(रद्दुलमुहतारः 4/65)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने निकाह की ताकीद फरमाई है और तजर्रुद की जिन्दगी को नापसन्द फरमाया है।

(सहीह मुस्लिमः 1/449)

प्रश्नः दो खान्दानों के दरमियान रिश्ता तै हो जाए, उसी दरमियान में तीसरे फरीक़ का लड़के या लड़की को निकाह का पैगाम देना कैसा है?

उत्तरः अगर एक शख्स ने किसी को निकाह का पैगाम दिया और अभी उसने पैगाम क़बूल नहीं किया है तो दूसरा शख्स निकाह का पैगाम दे सकता है, लेकिन जब किसी शख्स ने इस पैगाम को क़बूल कर लिया तो अब तीसरे शख्स के लिए इस का इल्म रखने के बावजूद किसी और रिश्ता का पैगाम देना दुरुस्त नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि एक भाई का पैगाम रहते हुए दूसरा अपनी तरफ से पैगाम दे, इल्ला यह कि पैगाम से दस्तबरदार हो जाए या दूसरे शख्स को अपनी तरफ से निकाह के पैगाम की इजाज़त दे दे।

(सहीह बुखारीः 5142)

प्रश्नः आज कल निकाह के लिए लड़के वाले आम तौर से मालदार घराने और खूबसूरत लड़की की तलाश में सरगरदां रहते हैं जिसकी वजह से निकाह में ताखीर हो जाती है, सवाल यह है कि निकाह के रिश्ते में इस्लामी मेयार (मापदण्ड) क्या है?

उत्तरः निकाह के रिश्ते में इन्तिखाब का बेहतर तरीक़ा यह है कि माल व दौलत के बजाए लड़की की दीनी व अख्लाक़ी हालत को मेयार बनाया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया ''निकाह चार वजह से किया जाता है, माल व दौलत, खूबसूरती, खान्दान व नसब और दीन की वजह से तो तुम दीनदार औरत का इन्तिखाब करो, तुम्हारे दोनों हाथ तर रहेंगे'' (अबू दाऊद, हदीसः 2048) लेकिन अगर कोई दीनदार औरत के बजाए दूसरी खूबियों की वजह से किसी और मुस्लिम खातून से निकाह करता है तो कुर्आन मजीद में इस की भी इजाज़त है। कुर्आन मजीद में है, अनुवाद ''उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसन्द हों''।

(अन्निसाः 3)

यहां कुर्आन मजीद ने पसन्द का कोई मेयार मुकर्रर नहीं किया बल्कि उसे पसन्द करने वालों के ज़ौक़ पर छोड़ दिया, तबीअ़त व मिज़ाज के फर्क के तहत मुख्तलिफ लोगों की पसन्द का मेयार अलग अलग हो सकता है, इसलिए अगर कोई लड़की दीन व अख्लाक़ के एतिबार से भी क़ाबिले क़बूल हो और साहिबे सरवत (धनवान) भी हो तो उससे

निकाह करने में कोई बुराई नहीं ताहम बेहतर यही है कि दीन व अख्लाक़ पर नज़र रखी जाए, चुनांचे फुक़्हा ने फरमाया है कि ''दीन व अख्लाक़ में बराबरी और किफाअत की रिआयत पर इक्तिफा करना अफ्ज़ल है''।
(बदाए सनाएः 2/137)

प्रश्नः क्या शादी से पहले लड़की को एक नज़र देख सकते हैं, इस्लामी शरअ़ में इसकी इजाज़त है या नहीं?

उत्तरः मर्द का गैर महरम औरतों को आम हालात में देखना कतअन जाइज नहीं है लेकिन जब निकाह का इरादा हो तो जिस औरत से निकाह करना चाहता है उसे देख सकता है बल्कि बेहतर है कि देख ले ताकि आइन्दा शक्ल व शबाहत का कोई गिला बाक़ी न रहे, अहादीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बाज सहाबा को मंगेतर को देख लेने का मशवरा दिया है।

(सहीह मुस्लिमः 3485)

अगर देखने के बाद तबीअत का रुजहान उस से निकाह करने की तरफ न हो सका तो कोई हरज नहीं है लेकिन अगर पहले ही से निकाह करने की नीयत न हो और सिर्फ देखने ही की गरज से देखा तो यह शदीद गुनाह है।

(रद्दुल मुहतारः 9/528)

प्रश्नः आज कल लोग अपनी शादियों में लम्बी लम्बी बारातें ले जाते हैं, क्या बारात ले जाना शरीअ़ते इस्लामी में दुरुस्त है?

उत्तरः मौजूदा दौर में दूल्हे के साथ बड़ी तादाद में लोग बारात की शक्ल में दुल्हन के घर जाते हैं और उसमें लोगों की तादाद का ज़ियादा से ज़ियादा होना काबिले फख़्र समझा जाता है और कम होना जिल्लत व रुस्वाई की बात समझी जाती है, इस तरह से बारात में जाने की शरअन कोई अस्ल नहीं है और न सुन्नत से साबित है। हाँ दूल्हा के साथ नाम व नमूद और इसराफ से बचते हुए अगर इतने अफराद चले जाएं जितने कि लड़की वाले ब खुशी दावत दें और निकाह पढ़वा कर दुल्हन को रुखसत करा के ले आएं तो इसकी गुंजाइश है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया ''जिस को दावत दी गई और उसने उस दावत को क़बूल न किया उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की और जो शख्स दावत के खाने में बे बुलाए आ गया वह चोर की तरह आया और डाकू की तरह निकल गया''।

(अबू दाऊदः 2/525)

इस हदीस से मालूम हुआ कि दावत में उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जिन को दावत दी गई हो, लड़की वालों ने जितनी तादाद की दावत क़बूल की, उससे ज़ियादा ले जाना दुरुस्त नहीं है।

प्रश्नः दौरे हाज़िर में बैन मजाहिब (दूसरे मजहबों के बीच) निकाह का रुजहान बढ़ रहा है, कुछ मुसलमान अपने को सेकूलर कह कर अपनी शादी गैर मुस्लिम औरतों से करके दोनों मियां बीवी अपने अपने मजहब पर अमल पैरा होते हैं और एक

शेष पृष्ठ....31 पर..

दीन व इस्लाम की हिफाजत की फिक्र, अहम जिम्मेदारी

—हज़रत मौलाना सय्यिद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

आज हाल यह है कि मगरबी निज़ामे तालीम (पाश्चात्य शिक्षण व्यवस्था) के हल्कों के अफराद की तरफ से वक्तन फवक्तन हमारे इस्लामी मदारिस के निज़ामे तालीम में इस्लाह व तब्दीली (संशोधन तथा परिवर्तन) के नारे बुलन्द किये जा रहे हैं और उन मदारिस को जहां उलमा हर तरह की कुर्बानी दे कर खूने जिगर से उन की आबयारी कर रहे हैं, बे समर (लाभ रहित) करार दिया जा रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वही अफराद जो हमारे निज़ामे तालीम की इस्लाह का झन्डा उठाए हुए हैं अपनी जदीद असरी (आधुनिक) तालीम गाहों में इस्लामी जरूरत के लिहाज से तब्दीली करने पर तैयार नहीं होते, जरूरत है कि वह अपनी दर्सगाहों के निसाब को उम्मत की ज़रूरत के मुताबिक जिन्दगी के दोनों पहलुओं का जामे बनाएं और मगरिबी फिक्र व फलसफा (पाश्चात्य विचार तथा दर्शन) के सामने एहसासे कमतरी से बाहर निकलें आंख बन्द करके यूरोप के तशकील करदा निज़ामे तालीम व तरबियत से मुन्सलिक न रहें, उनके खालिस दुन्यावी निसाब में बच्चों को शुरु ही से दाखिल कर दिया जाता है, इस तरह उनको सिर्फ मादी तर्जे फिक्र (भौतिक विचार) से वास्ता पड़ता है। इस तरह बच्चे शुरु ही से अपने दीन से बिल्कुल नावाकिफ बल्कि दीनी उमूर में एहसासे कमतरी का शिकार हो जाते हैं, उन तालीम गाहों में तलबा के अख्लाक़ व आदात पर मसीही रंग चढ़ाने का काम भी किया जाता है। उसकी वजह से वह मगरिबी अफ़्कार और सक़ाफत (पाश्चात्य विचार तथा संस्कृति) से बड़ी हद तक हम आहंग हो गए। यह एक बड़ा चैलेंज है जिस का मुकाबला करना और अपनी नस्लों के दीन व ईमान की हिफाज़त की फिक्र करना हमारी अहम जिम्मेदारी है। ◆◇◆

मानवता मिशन (जीवन दर्शन)

—डॉ0एम0वाई0एच0के0

अल्लाह (ईश्वर) एक है और उसका कोई आकार नहीं है वह निराकार है। उसकी महिमा असीम है और उस महान ईश्वर ने इस ब्रह्माण्ड की संरचना की और इस ब्रह्माण्ड की संरचना कर सात आकाश और पृथ्वी की संरचना की और इन आकाशों में चमकते सितारे, ग्रहों एवं महान पिण्डों से सुसज्जित किया और अपनी सर्वश्रेष्ठ संरचना मानव को पृथ्वी पर भेज कर पृथ्वी पर अपना प्रतिनिधि शासक बनाया। और इस मानव के लिए पृथ्वी पर विभिन्न आवश्यकताओं से परिपूर्ण पृथ्वी को सुसज्जित कर दिया और पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु जीवनधारी एंव निरजीव वस्तुओं को उसके अधीन कर मानव को पृथ्वी का शासक बना दिया और मानव को अपनी उपासना के लिए पैदा किया।

हम सब मानव ईश्वर के आगे नतमस्तक और उपासक हैं और वही सर्वशक्तिमान ईश्वर उपासना के लायक है। इसी मानव को ईश्वर ने मानव आत्माओं की उत्पत्ति के बाद एक कलमा दिया।

लाइलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्र रसूलुल्लाह

तर्जुमा— नहीं है कोई माबूद (उपास्य) सिवाय अल्लाह के और मुहम्मद सल्ल0 अल्लाह के रसूल हैं)

अर्थात मानव आत्माओं की संरचना के बाद ईश्वर ने हम सब मानवों से अपनी बंदगी का करार लिया था वही करार प्रत्येक मानव को पृथ्वी पर आने के बाद ईश्वर के समक्ष किये गये वादे को अपनाना होता है।

आप हम सब पृथ्वी के मानव उस निराकार सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना के लिए तत्पर हो कर जीवन को कल्याणकारी बनायें। इस मानव को सही जीवन दर्शन देने के लिए महाकृपालु ईश्वर ने समय समय पर पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव रूप अपने सर्वश्रेष्ठ ईश दूत (रसूल, पैगम्बर, मनु, ऋषियों, मुनियों) को भेजा जो कि प्रत्येक युग में विभिन्न क्षेत्रों में मानव को जीवन दर्शन दिया और जिन्होंने प्रत्येक युग के मानव को अल्लाह तआला की उपासना के लिए उपदेश दिया। इस प्रकार मानव शरीर को आध्यात्मिक एवं शारीरिक विकास के लिए विभिन्न रसूलों को मनुओं को ऋषियों, पैगम्बरों व नबियों को भेजा जिन्होंने मानव समाज की अकेले एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की इबादत के लिए उपदेशित किया और अन्त में इस कलयुग में सर्वशक्तिमान ईश्वर (अल्लाह तआला) ने सम्पूर्ण कल्याणकारी जीवन यापन का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम विश्व के मानव के लिए अन्तिम सर्वश्रेष्ठ पैगम्बर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पृथ्वी

पर भेजा जिन्होंने ईश्वर के आदेशानुसार संसार के सभी मानव को जीवन दर्शन दिया जिसका इशारा पृथ्वी पर अवतरित वेदों, पुराणों, पोराणिक ग्रंथों एवं कुर्आन में उल्लिखित है। जिन पर ईश्वर ने अन्तिम जीवन दर्शन पुस्तक कुर्आन करीम को अवतरित किया। इसी पाठ्यक्रम को पढ़ने से ही दुन्या में और आखिरत में भलाई है। यही जीवन दर्शन है।

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर.....

साथ ज़िन्दगी गुजारते हैं क्या इस्लाम में इस तरह निकाह करने और मियां बीवी की ज़िन्दगी गुज़ारने की इजाज़त है?

उत्तरः इस्लाम ने मुशरिकीन यानी गैर मुस्लिमीन से निकाह को हराम करार दिया है और खुद कुर्आन मजीद में इसकी सराहत मौजूद है तर्जुमाः ''और मुशरिक औरतों के साथ निकाह न करो जब तक वह ईमान न ले आएं कि मोमिना कनीज़ तक बेहतर हैं, आज़ाद मुशरिक औरत से, अगर चे वह तुम्हें पसन्द हो''।

(अल बकराः 221)

गैर मुस्लिमों में सिर्फ अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाईयों का इस्तिस्ना है कि उनकी औरतों से मुसलमान मर्द निकाह कर सकते हैं बशर्ते कि वह वाकई यहूदी या ईसाई हों, वही और नुबूवत को मानती हों और मुसलमान शौहर के ईमानी, अखलाक़ी और तमद्दुनी एतिबार से मुतअस्सिर होने का अन्देशा न हो, अल्लाह तआला का इरशाद है, तर्जुमा ''और इसी तरह तुम्हारे लिए जाइज़ हैं'' उनकी पारसाएं जिनको तुम से कब्ल किताब मिल चुकी है जब तुम उन्हें उनके महर दे दो और कैदे निकाह में लाने वाले हो, न कि महज़ मस्ती निकालने वाले और न चोरी छिपे आशनाई करने वाले''।

(अलमाइदाः 5)

इसी तरह मुसलमान औरत के लिए गैर मोमिन मर्द से निकाह जाइज़ नहीं उनके लिए अहले किताब (यहूदी ईसाई) का इस्तिस्ना भी नहीं कुर्आन मजीद में साफ साफ है, तर्जुमा ''और अपनी औरतों को (भी) मुशरिकों के निकाह में न दो जब तक कि वह ईमान न ले आएं, और मोमिन गुलाम तक बेहतर हैं मुशरिक आज़ाद से अगरचे वह तुम्हें पसन्द हों''।

(अल बकराः 221)

प्रश्नः महर किस को कहते हैं? इस्लामी शरअ में उसकी क्या हैसियत है?

उत्तरः महर वह माल है जो अ़क्दे निकाह की वजह से किसी औरत का मर्द पर वाजिब होता है।

(अल–अहवालुश्शख्सीयाः 125)

और यह वजूब कुर्आन व हदीस और इजमाअ़े उम्मत से साबित है, अल्लाह तआला ने शौहरों को ताकीद की कि बीवियों का महर खुश दिली से दे दो।

अनुवादः *''और औरतों को उन का महर खुश दिली से दे दो''।*

(अन्निसाः 4)

❖❖❖

संयमता

—नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी

वह घर से निकल कर कहीं जा रहे थे। थोड़ी दूर ही चले होंगे कि शरीर पर अचानक कूड़ा करकट आ गिरा, सर, मुँह, कपड़ा सब गन्दा हो गया। ये हरकत छत पर से की गई थी, नहीं मालूम जानबूझ कर की गई थी या अनजाने में लेकिन थी बड़ी बेहूदा।

गावों में अभी तक शायद ही ऐसा हो मगर शहरों में अभी भी देखा गया है कि अपने घर का कूड़ा करकट और गन्दगी पोलीथीन में रख कर ऊपर से ही पार करने की कोशिश की जाती है। उन्हें कदापि इसकी चिन्ता नहीं होती कि ये किसी के ऊपर गिर सकता है या सड़क पर बिखर कर गन्दगी फैला सकता है। बस अपना कूड़ा सड़क पर आ गया, अब सरकार समझे या पड़ोसी।

सामान्यतः देखा गया कि पड़ोसियों से जो आपस में मन मुटाव रहता है उसमें कूड़ा—करकट का बड़ा दखल होता है। बस पन्नी में रखा और सड़क पर उछाल दिया जो पड़ोसी के दरवाजे पर जा गिरा अब जो किच—किच होती है, वह जगजाहिर है।

सफाई को ले कर लोग सरकार को खूब कोसते हैं, निःसंदेह उनका कोसना सामान्यतः जायज भी है, मगर नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य है कि मुहल्ले, नगर को स्वच्छ बनाएं या स्वच्छ बनाने में सरकारी अमले को सहयोग दें। सच पूछिये तो ये भी देश भक्ति है। कचरे को डस्टबीन में डाल देना, गली—मुहल्ले को साफ सुथरा रखना आदि देश सेवा है और देश सेवा ही पूर्ण देश भक्ति है।

खैर बात उन साहब की हो रही थी जिन पर कचरा फेंका गया था। दुन्या उन्हें उस्मान अल खैरी रह0 के नाम से जानती है। जब वह रास्ते से जा रहे थे और उन पर कूड़ा फेंका गया तो उस समय उनके मुरीद भी साथ थे। उन्होंने जब अपने हज़रत पर कचरा देखा तो बौखला गए और उनका क्रोधित होना स्वाभाविक था मगर उस्मान रह0 ने उन्हें संयम बरतने का आदेश दिया और कहा, मियाँ! इतना गुस्सा क्यों होते हो, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जिस सिर पर आग डाली जानी चाहिए, उस पर खाक डाली जा रही है, ये तो रब की कृपा है।

कितनी बड़ी बात कह दी! दरअस्ल उस्मान रह0 के समक्ष अन्तिम सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तौर तरीका था। जब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भटकी हुई इन्सानियत को एक अल्लाह की ओर बुलाया तो दिग्भ्रमित लोग उनकी राह में कांटे बिछाते, कचरा फेंकते, गालियां देते मगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन्हें कुछ न कहते

बल्कि रब से उनके लिए दुआएं करते।

आज कोई किसी को बुरा कह दे, थोड़ी आंखें ऐंठ कर दिखा दे तो लोग उसे सबक सिखाने को तैयार हो जाते हैं। जिस संयमता का दामन ऐसे अवसर पर पकड़े रहना चाहिए था, छोड देते हैं। हालांकि थोड़ी सी संयमता और सब्र तथा बर्दाश्त उन्हें महान लोगों की श्रेणी में खड़ा कर सकती है। सबसे बड़ी बात कि खुदा ऐसे लोगों से बड़ा खुश होता है जो दूसरों की गलतियों को मॉफ कर देते हैं।

❖❖❖

कुर्आन की शिक्षा .....

करता है कि बहक न जाओ और अल्लाह हर चीज़ से खूब परिचित है[4](176)

तफ़्सीर (व्याख्या):-

1. अहले किताब अपने पैगम्बरों की प्रशंसा में बढ़ा चढ़ा कर बयान करते और हद से निकल जाते, खुदा ही बना देते या खुदा का बेटा कहते इसको सख़्ती से मना किया जा रहा है और आदेश हो रहा है कि अल्लाह की शान में अपनी ओर से बातें मत कहो जो पैग़म्बरों ने सच सच बताया वह मानो, फिर विशेष रूप से ईसाईयों को चेताया जा रहा है कि अल्लाह संतान से पवित्र है, ईसा अल्लाह के पैगम्बर हैं जिनको अल्लाह ने कलिमा (शब्द) कुन (हो जा) से रूह (आत्मा) डाल कर विशेष ढंग से पैदा किया तो उनको और उनकी मां को खुदाई में साझीदार मत करो और तीन खुदा मत बताओ।

2. सारी सृष्टि अल्लाह की बन्दगी में लगी है और यही सबके लिए सम्मान की बात है, न ईसा अलैहिस्सलाम को बन्दगी से लज्जा है और न फरिश्तों को हां अपमान दूसरे की बन्दगी में है जैसा कि ईसाइयों ने ईसा को खुदा का बेटा कहा और मक्के के मुश्रिकों ने फरिश्तों को खुदा की बेटियां बताया तो वे शिर्क करने के परिणाम स्वरूप अल्लाह के प्रकोप और दण्ड के हक़दार हुए।

3. अंतिम किताब भी आ चुकी और अंतिम पैग़म्बर भी आ चुके और अब वही सफल होगा जो मानेगा और उनको मजबूती से थाम लेगा ऐसे लोगों पर अल्लाह की रहमत (दया) होगी।

4. सूरह के शुरु में ''कलालह'' की मीरास बयान हो चुकी है सहाबा ने उसको विस्तार से जानना चाहा तो यह आयत उतरी कि कलालह वह है जिसके न संतान हो न मां बाप हों, अब अगर उसके भाई बहन हैं तो उनको उसी नियमानुसार मिलेगा जैसे संतान को मिलता है, केवल एक भाई है तो उसको पूरा, अगर केवल एक बहन है तो उसको आधा, अगर कई बहनें हैं तो उनको दो तिहाई और अगर भाई भी हैं और बहन भी है तो भाई के दो हिस्से और बहन का एक हिस्सा, इसी तरह अगर बहन मर जाए, और उसकी संतान न हो तो भाई असबा (बाप की ओर से रिश्तेदार) हो कर वारिस होगा।

❖❖❖

–प्रस्तुति–

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

—अब्दुल रशीद सिद्दीक़ी

क़ुर्आने पाक़ सा कलाम न आया कोई ।
रसूले पाक सा पैगाम न लाया कोई ॥

गुनाह माफ हों पिछले, कोई पढ़े कलमा ।
रसूले पाक सा, ईनाम न लाया कोई ॥

नबीये पाक तो, दुन्या के लिए रहमत हैं।
ये लक़ब आपका, दुन्या में न पाया कोई॥

नबी के बाद तो आलम में हैं, अव्वल सिद्दीक़ ।
रफीक़े ग़ार सा, दुन्या में न आया कोई ॥

लह्व व लइब की यारों की, जो भी महफिल थी ।
वक़्त पड़ने पे मेरे काम न आया कोई ॥

आमाल छोड़ के अहलोअयाल को पकड़ा ।
मौत आयी तो काम न आया कोई ॥

खुदा कहेगा, वह बद नसीब बन्दा है ।
नेक आमाल जो, साथ न लाया कोई ॥

सिद्दीक़ी सीखता आमाले नेक है चलकर ।
नबीये पाक से आमाल न लाया कोई ॥

शरीअते इस्लामी की अहमियत और उसका मुक़ाम

—हज़रत मौ0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी —हिन्दी लिपिः मुहम्मद शिबली नौमानी

शरीअते इस्लामी की पाबन्दीः–

मुसलमानों को अपने दीन पर अमल करना और अपने आइली मुआमलात को शरीअते इस्लामी के अहकाम के मुताबिक़ अन्जाम देना कितना ज़रूरी है इसको कुर्आन शरीफ और हदीस शरीफ की तालीमात से बखूबी समझा जा सकता है, मुसलमानों की शरीअत उनकी ज़िन्दगी के तमाम पहलुओं में रहनुमाई करती है, उनकी जिन्दगी की मुश्किलात का हल बताती है, उन ज़रूरतों का हल बताने वाली शरीअत से रुगरदानी करना न सिर्फ यह कि बड़ी महरूमी की बल्कि खुदा को सख़्त नाराज़ करने वाली बात है, इससे मुसलमानों को अपने परवरदिगार की मदद व रहमत से न यह कि महरूमी मिलती, बल्कि अल्लाह तआला की तरफ से सख़्त पकड़ होने का अन्देशा हो जाता है, अल्लाह तआला ने अपनी किताब कुर्आन शरीफ में साफ साफ फरमा दिया है कि उसको अपनी तरफ से अता करदह दीन व शरीअत की खिलाफ वरज़ी बिलकुल कुबूल नहीं, फरमाया : *'''और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा वह उससे हरगिज़ कुबूल नहीं किया जायेगा और ऐसा शख्स आखिरत में नुक़सान उठाने वालों में होगा''*

(सूरः आलइमरानः85)

''क्या यह ज़माने जाहिलीयत के हुक्म के ख़्वाहिशमन्द हैं? और जो अल्लाह की बातों पर यक़ीन रखते हैं उनके लिए अल्लाह के हुक्म से अच्छा हुक्म किस का है?''

(सूरह अलमाइदाः 50)

अल्लाह तआला ने अपना यह दीन और शरीअत अपने आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जरीये मुसलमानों को अता किया और अपने आखिरी नबी के अहकामात और फैसलों को मानना जरूरी क़रार दिया और यह फरमाया कि उसके माने बगैर कोई मुसलमान मुसलमान नहीं रहता, फरमाया—

''आपके रब की क़सम! यह लोग जब तक अपने तनाज़आत में आप को फैसला करने वाला न बनायें और फैसला आप कर दें उससे अपने दिल में तंगी न पायें बल्कि उसको खुशी से मान लें तब तक मोमिन नहीं होंगे''

(सूरह निसाः 65)

लेकिन सख़्त अफसोस की बात है कि मुसलमानों में अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्म के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने से बड़ी बे तवज्जुही पैदा हो गयी है, उसके अहकामात की तामील के बजाये दूसरों के रस्मो रिवाज पर अमल किया जाने लगा है जो कि एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

की नाफरमानी और उनकी नाराज़गी का बाइस है, दूसरी तरफ मुसलमानों का बहैसियत मुसलमान साबित होना मुश्किल हो गया है, वह अपने दीने फितरत इस्लाम के तौरो तरीके के इख़्तियार करने के बजाये जाहिलाना व मुशरिकाना और बेजा तौर व तरीके को इख़्तियार करने वाले और ग़ैरों की रस्मों को अपना वतीरा बनाने वाले बनते जा रहे हैं।

ऐसी सूरते हाल कुछ तो ग़फलत और नफ्स परस्ती के सबब हुई है और कुछ अपनी शरीअ़त से नावाक़िफियत की बिना पर हुई है, ग़फ़लत और नफ्स परस्ती को दूर करने के लिए वअ़ज़ो नसीहत की ज़रूरत है और नावाक़िफियत का इलाज उनको शरीअ़त के ज़रूरी अहकाम से वाक़िफ कराने से किया जा सकता है।

इसके लिए इस मुल्क में जहां का दस्तूर सेकुलरिज़्म पर मबनी है और मुसलमान अक़ल्लियत में भी हैं, हुकूमत से कोई खास तवक़्क़ो नहीं की जा सकती है, उसको तो मिल्लते इस्लामी के फरज़न्द ही अन्जाम दे सकते हैं, क्योंकि अपनी मिल्लत को उस्तवार और महफूज़ रखने की ज़िम्मेदारी सबसे ज़ियादा उन्हीं की है, शरीअ़ते इस्लामी के सिलसिले के मुआ़मलात का मुल्क के अदालती व दस्तूर साज़ी के इदारों से जो तअल्लुक़ है उसके लिए अलहम्दुलिल्लाह हुकूमत के सामने मुदाफअ़त करने और ग़लतफहमियां दूर करने की जिद्दोजहद मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने अन्जाम दी है और शरीअते इस्लामी को नुक़सान पहुंचाने वाले बाज़ जाब्तों को बदलवाया और इस दायरे में जब कोई नई पेचीदगी होती है, बोर्ड उसकी फिक्र करता है और उसके लिए जिद्दोजहद करता है, इसी तरह इस महाज़ पर अलहम्दुलिल्लाह ज़रूरत के मुताबिक़ काम अंजाम पा रहा है।

दूसरा महाज़ खुद मुसलामनों को शरीअ़ते इस्लामी पर अमल करने के दायरे में लाने का है जो सबसे वसीअ़ और अहम है, इसके लिए बोर्ड ने दीगर मिल्ली इदारों की मदद से इस्लाहे मुआ़शरा के उनवान से काम किया है, यह काम ज़ियादा वसीअ़ और अनथक मेहनत का काम है, ज़रूरत है कि इसके लिए जगह जगह इजतिमाआ़त किये जायें, आम्मतुल मुस्लीमीन को शरीअ़ते इस्लामी के अहकाम की खिलाफ वर्जी से रोका जाए, उनके मुआ़मलात में गैरों की रस्में और तरीक़े दाखिल हो गये हैं, जिनसे परवरदिगार की मरज़ी और उसके आखरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीमात की खिलाफवर्जी हो रही है, उससे बाज़ रहने की तलक़ीन की जाए ताकि दुन्या व आखिरत दोनों में जो नुक़सान व तबाही का खतरा है वह दूर हो।

इसराफ व नुमाइशः–

निकाह और शादी में ग़ैर ज़रूरी नुमाइश व आराइश, मुसरिफाना इख़राजात और जाहिलाना रस्में व ग़ैर आक़िलाना तरीक़े हैं जिनसे एक तरफ तो खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नाराज किया जा रहा है और दूसरी तरफ वह क़ीमती सरमाया जो खुद ज़ौजैन के मुस्तक़बिल की तामीर और मिल्लत के ज़रूरी कामों में लगाया जा सकता है, ज़ाये होता है, और इसी के साथ उसका सर्फ करना लड़की लड़के के वालिदैन के लिए बार का बाइस भी बनता है, ज़रूरत है कि उसकी इस्लाह के लिए लोगों को समझाया जाये कि वह महज वक़्ती लुत्फ और नामो नमूद के लिए इस तरीक़े से अपनी इकतिसादी मुस्तक़बिल को भी नुक़सान पहुंचाते हैं और मिल्लत के ज़रूरी तक़ाजों को पूरा करने में जो हिस्सा लिया जा सकता है, उससे भी क़ासिर रहते हैं फिर अपने रब और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अहकाम की खिलाफ वर्ज़ी करके उनको नाराज़ करते हैं, यह नाराज़ी उनके लिए दुन्या व आख़िरत दोनों में नुक़सान का बाइस बनती है।

महर की अहमीयतः–

इस्लामी शरीअत में शादी के लिए महर मुक़र्रर करना और उसका अदा करना या अदा करने की क़तई नीयत रखना लाज़मी है, महर को देने के लिए रखा जाता है, इसलिए उसको न इतना ज़ियादा होना चाहिए कि उसकी अदायगी शौहर की इस्तिताअत से बाहर हो और न इतना कम होना चाहिए कि बीवी की हैसियत को गिराता हो।

महर की तादाद के लिए सबसे अच्छा नमूना हमारे आक़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की महबूब साहिबज़ादी हज़रत फातिमा रज़ि0 का है, जिनका महर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पांच सौ दिरहम यानी एक सौ एकतीस तोला तीन माशा चांदी की क़ीमत का मुक़र्रर फरमाया था, इस्लाम में शादी इस तरह बताई गई कि वह बग़ैर कर्ज दार हुए सहूलत से हो सकती है, उसको हत्तलवसअ़ सादा होना चाहिए।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम **के बाज सहाबियों** ने इस तरह भी शादी की कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी जिन पर वह दिलो जान से फिदा थे, शिर्कत की दावत देना ज़रूरी नहीं समझा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस पर किसी नागवारी का इज़हार भी नहीं फरमाया, खबर मिलने पर सिर्फ यह फरमाया कि "वलीमा करो ख्वाह एक बकरी का ही हो"।

इस्लाम में बीवी पर जहेज़ लाना जरूरी नहीं क्योंकि शादी के बाद उसकी ज़रूरत के सारे इख़राजात शौहर पर होते हैं, बीवी को उसके लिए कुछ नहीं करना होता बल्कि रिहाइश के लिए भी शौहर की तरफ से हत्तलमक़्दूर अ़लाहिदा जगह का इन्तिजाम करना होता है और उस पर सिर्फ अपने ज़ाती घर की ज़िम्मेदारी डालना है, पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी उस पर नहीं डालना है।

अफसोस यह है कि मुसलमान जहां दीन की दूसरी बहुत सी बातों में अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्मों को छोड़ता है, शादी में भी छोड़ता है, हिन्दुस्तान में गैर मुस्लिमों की तरह बीवी से जहेज़ के तलबगार होते हैं और यही नहीं बल्कि उसके सिलसिले में ज़ालिमाना रवय्या इख़्तियार करते हैं और उसके बरअक्स महर की अदायगी की कोई फिक्र नहीं करते या उसकी अदायगी की नीयत नहीं रखते, क्योंकि वह ऐसा महर मुक़र्रर करते हैं कि उसकी अदायगी उन के बस में होती ही नहीं, उसके बरअक्स बीवी पर माली बोझ डालते रहते हैं, यह सब खिलाफे शरीअ़त है।

इज्दवाजी ज़िन्दगीः–

निकाह और शादी के मुआ़मलात में शरीअ़ते इस्लामी की तय करदह मुफीद और मुअ़तदिल तरीक़े की पाबन्दी न करने से ज़ौजैन के माबैन तअ़ल्लुक़ात बाज़ वक़्त सख़्त कशीदह हो जाते हैं कि तल्ख़ी और ज़ालिमाना तरीक़े से अ़लाहिदगी, दुश्मनी और जान की हलाकत तक नौबत पहुंचती है, यह सहीह है कि ज़ौजैन के दरमियान बाज़ वक़्त सहीह तरीक़ाकार इख़्तियार करने के बावजूद अलाहिदगी की ज़रूरत पेश आ जाती है, उसके लिए शरीअ़त ने तलाक़ का जरीआ़ मुहैया किया है, लेकिन उसका मुनासिब तरीक़ा बताया है, वह यह कि पहले अहले तअ़ल्लुक़ की तरफ से मेल मिलाप कराने की कोशिश की जाये और कामयाबी न होने पर एक एक करके तीन महीने में तीन तलाक़ें दी जायें, और ज़रूरत पर एक मरतबा ही तलाक़ दे कर अलाहिदगी की जा सकती है, मुकम्मल अलाहिदगी तय कर लेने पर ''खूबी व हमदर्दी'' के तरीक़े से रुख़सत करने की तलक़ीन की गयी है और दिलदारी की शक्ल बताई गयी है, बहुत से मुसलमान इन हिदायात को नज़रअन्दाज़ करके ख़राब सूरतेहाल पैदा कर देते हैं। इसी तरह तक़सीम मीरास का मुआ़मला है, रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक का मसला है, और दीगर आ़इली मुआ़मलात हैं।

फिर एक अहम बात शराब और जुवे की बुरी आदतें हैं, शराब और जुवे को शीरअ़त ने हराम और क़ाबिले मज़म्मत फेअ़ल बताया है, उससे माल व मताअ़ की बर्बादी और आ़इली ज़िन्दगी की तबाही होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सख़्त नाराज़गी का बाइस बनता है।

इसी तरह की ग़लत कारियां मुसलमान मिल्लत की ज़िन्दगी को घुन की तरह लगती जा रही हैं और ज़िन्दगियां तबाह कर रही हैं, हमारे दाअ़ी हज़रात और जिनको खुदा ने जुबान या क़लम की मुअस्सिर सलाहियतें अ़ता की हैं उनका फर्ज़ है कि वह आगे आयें और मुख़्तलिफ तरीकों से मुस्लिम मुआशरे की इन ख़राबियों को दूर करने की कोशिश करें।

❖❖❖

–देवनागरी लिपि में उर्दू

दुन्या के तुफाने बला ख़ेज़ में रहमान के बन्दों की शान

–मौलाना शम्सुलहक़ नदवी–

दुन्या की उम्र बहुत तवील और उसकी तारीख़ बहुत क़दीम है, क़ौमें उसके दामे फरेब में किस तरह फसीं और हलाक हुईं, ये तो हम तारीख में पढ़ते हैं, लेकिन इस वक्त अपने ज़माने में हम क्या देख रहे हैं, क्या मुशाहदह कर रहे हैं, इसके लिए किसी सुबूत या दलील की ज़रूरत नहीं, आज तो इस सैलाबे बला ख़ेज़ में आ़लम का आ़लम तिनके की तरह बहा चला जा रहा है।

लेकिन इसी के साथ साथ मोमिन बन्दों की एक ऐसी भी जमाअ़त है जो दुन्या के इसी तूफानी माहौल में रहती है और तमाम वसाइले ज़िन्दगी से फायदा उठाती है मगर उसकी शाने ईमान क़तअन दाग़दार नहीं होने पाती, और उसके दामने सिद्क़ो सफा पर ज़रा भी आंच नहीं आने पाती, कुर्आन करीम उन खुश ख़ियालों की तस्वीर कशी इन अलफाज़ में करता है–

अनुवादः ''और खुदा के बन्दे तो वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना गुफ़्तगू करते हैं तो सलाम कहते हैं (यानी ऐसों के मुंह नहीं लगते कि अपना वक़ार खो दें)''।

(अल फुरक़ान–63)

वह खुदा की दी हुई रोज़ी में से जब ख़र्च करते हैं तो हद्दे एअ़तिदाल से आगे नहीं बढ़ते, न शोहरत व नामवरी के लिए फ़िज़ूल खर्ची करते हैं, न मौका व महल पर ख़र्च करने में बुख़्ल से काम लेते हैं अपने अहलो अ़याल पर तंगी करें या बच्चों की तअ़लीम व तरबियत के इख़्राजात में किफ़ायत शिआ़री दिखाएं, उन बन्दों की तारीफ़ कुरआने करीम इन अलफ़ाज़ में करता है अनुवादः '' और वह जब ख़र्च करते हैं तो न बेजा उड़ाते हैं, और न वह तंगी को काम में लाते हैं बल्कि एअ़तिदाल के साथ, ज़रूरत से ज़ियादा न कम''

(अल फुरक़ान–67)

वह सही इस्लामी मुआ़शियात के उसूल पर अ़मल करते हैं, खुदा के ये बन्दे खुदा की बड़ाई में किसी और को नफ़ा नुक़सान पहुंचाने वाला तसव्वुर नहीं करते हैं, उन का सर किसी बड़ी से बड़ी ताक़त, तमअ़ या लालच के सामने क्योंकर झुक सकता है। उनकी इस सिफत को कुर्आन करीम ने इस तरह ज़िक्र किया है, अनुवादः और जो अल्लाह के साथ किसी और मअ़बूद को नहीं पुकारते।

(अल फुरक़ान–68)

वह कुर्सी व हुकूमत को, इमारात व विज़ारात को, ओहदओ मनसब को, जाहोमाल को अपना मअ़बूद नहीं बनाते कि उसकी ख़ातिर अपनी ग़ैरते ईमानी

–हिन्दी लिपिः राशिदा नूरी

और दीनी को दाग़ लगाएं और सरकार दरबार की डेवढ़ी पर शीश नवायें, रहमान के ये बन्दे ऐसे ओछे और ग़र्ज़ के पुजारी नहीं होते कि अपनी आन या मअ़मूली फायदे की ख़ातिर किसी की जान लें चाहे वह किसी भी क़ौम व बिरादरी और दीनी मज़हब से तअ़ल्लुक़ रखता हो, सिवाए उसके कि उसने कोई जुर्म किया हो जिसकी पादाश में उसकी जान लेना दुरुस्त हो, चुनांचे कुर्आन ने उनकी इस शराफ़ते इन्सानी और मक़ामे बुलन्द का तज़किरा इस तरह किया, अनुवाद ''और जिस इंसान की जान को अल्लाह ने महफूज़ क़रार दे दिया है, उसे क़त्ल नहीं करते हां मगर हक पर'' आप इन सिफात को अपने मौजूदह दौर के बात बात पर क़त्लो ग़ारत गरी, मासूम जानों से खिलवाड़ के माहौल पढ़िये तो क़द्र आए कि वह खुदा के कितने प्यारे बन्दे हैं जो उसके बन्दों से प्यार करते हैं और शरई हुक्म व तअ़ज़ीर के बग़ैर किसी को आंख तक नहीं दिखाते ये नेक खू लोग फहश कारी व हराम कारी से बहुत दूर रहते हैं, फिर ऐसे लोग किसी डांस घर और सिनेमा हाल में कहां देखे जा सकते हैं, ये लोग ऐसे हैं कि बेहूदा बातों में शामिल नहीं होते बल्कि जब लग़्व मशग़लों के पास से गुज़रते हैं, तो शराफ़त के साथ गुज़र जाते हैं, मेले ठेले, मुख़्तलिफ़ बाज़ियों के जमघटे, नाच रंग की महफिलों, थियेटर सिनेमा सभी से दूर रहते हैं, झूठी गवाही देना, झूठ को सच, ग़लत को सहीह क़रार देना, उनके ख़मीरो ज़मीर दोनों के ख़िलाफ है –

ये लोग दुन्या के झमेलों से कट कर रहबानियत व तन्हाई की ज़िन्दगी नहीं गुज़ारते कि आजमाईश की घड़ी ही न आए बल्कि इन झमेलों में भी रहमान के ही बन्दे रहते हैं, उसी के तलबगार बने रहते हैं, वह अहलो अयाल और बाल बच्चों की सलाहो फ़लाह के भी फिक्रमन्द रहते हैं उनके लिए ऐसी आरजूएं रखते हैं और दुआएं करते हैं, जो उनको कुर्आनी तअ़लीमात का अ़मली नमूना बना दे, वह कहते और मांगते हैं अनुवादः ''ऐ हमारे परवरदिगार! हमको हमारी बीवियों और हमारी औलाद की तरफ से आंखों की ठण्डक अ़ता फरमा और हमको परहेज़गारों का सरदार बना दे।

वह उसके मुतमन्नी और दुआ गो नहीं होते कि सिरे से औलाद ही न हो, बल्कि वह इसके तलबगार होते हैं कि हो और ऐसी हो कि उन पर रहमते खुदावन्दी को प्यार आए।

ये लोग एक दूसरे से हुस्न ज़न रखने में ऐतिमाद व भरोसा करते हैं, बदगुमानी नहीं करते कि बदगुमानी गुनाह भी है और बाहम बे

ऐअ़तिमादी पैदा करके मुआ़शरे के पूरे माहौल को भी ख़राब व ग़ैर मुतमइन बना देती है, बल्कि बाहम इख़्तिलाफ़ व लड़ाई और झगड़ों का दरवाज़ा खोल देती है, जो बढ़ कर क़त्लो ख़ूंरेज़ी तक पहुंच जाता है इसीलिए ये लोग न तो एक दूसरे का ऐब तलाश करने की फिक्र में पड़ते हैं न ही पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करते हैं कि ये सख़्त फितने की बात है, ऐसी ख़तरनाक कि इसको अपने भाई का गोश्त खाने से तअ़बीर किया है। अनुवाद ''ऐ ईमान वालो! बहुत गुमान करने से एहतिराज़ करो कि बअ़ज़ गुमान गुनाह हैं और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस न किया करो और न कोई किसी की ग़ीबत करे, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि वह अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए इससे तो तुम ज़रूर नफ़रत करोगे (तो गीबत न करो) और खुदा का डर रखो)।

इसी तरह से ये लोग एक दूसरे का मज़ाक़ नहीं उड़ाते, किसी को हक़ीरो ज़लील नहीं समझते, सबकी इज़्ज़त सब का इकराम करते हैं, जिसके नतीजे में पूरा माहौल सुकूनों चैन और मेल महब्बत का माहौल होता है। अनुवाद ''मोमिनो कोई क़ौम किसी क़ौम से तमस्खुर न करे, मुम्किन है कि वह लोग उनसे बेहतर हों और न औरतें औरतों से (तमस्खुर करें) मुम्किन है कि वह उनसे अच्छी हों।

ये दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर मुकद्दम रखते हैं ख़्वाह उनको खुद एहतियाज हो''।

(अल हश्र 9)

दिन उनके इस तरह गुज़रते हैं और रात तौबा व इस्तग़फार में, रुकूअ़ व सुजूद में, अनुवाद ''और जो रातों को अपने परवरदिगार के सामने सजदा व क़ियाम में लगे रहते हैं''।

अलफुरक़ान–64)

रहमान के ये बन्दे अपनी रातें शराब खानों, नाइट क्लबों और नाच घरों में नहीं गुज़ारते सिनेमा थियेटर वगैरह में मारे–मारे नहीं फिरते, ये लोग जब दिन को अपने कारोबारी ज़िन्दगी में मशगूल होते हैं, हुकूमतो सियासत के उमूर अन्जाम दे रहे होते हैं तब भी रहमान की याद से ग़ाफिल नहीं होते बल्कि अनुवाद ''उठते बैठते लेटे हुए भी रहमान को याद करते हैं– ऐ अल्लाह मुझे भी अपने ऐसे महबूब बन्दों की राह पर चला और उनकी भी मदद फरमा और मेरी भी मदद फरमा। आमीन।

❖❖❖

कुर्आने मजीद कलामे खुदा
हदीसे पाक कलामे रसूल
दोनों पे जिसने अमल किया
आमाल उसके हुए कबूल
करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर
खुदा मेहरबां होगा अर्शे बरीं पर

उर्दू सीखये

—इदारा

हिन्दी जुम्लों की मदद से उर्दू जुम्ले पढ़ये

सह़ीह़ को सही लिखना ग़लत है।	صحیح کو سہی لکھنا غلط ہے۔
ख़याल में ''ख़'' पर ज़बर है।	خیال میں ''خ'' پر زبر ہے۔
ज़ियादा में ''ज़'' को ज़ेर है।	زیادہ میں ''ز'' کو زیر ہے۔
दुन्या में ''नून'' साकिन है।	دنیا میں ''نون'' ساکن ہے۔
ज़रीआ़ को ''ज़रिया'' न लिखो।	ذریعہ کو ''ذریہ'' نہ لکھو۔
ग़लती को ''ग़ल्ती'' न लिखो।	غَلَطی کو غلْطی نہ لکھو۔
इस वाक़िये (वाक़िअ़े) की ह़क़ीक़त क्या है।	اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے۔
यह रक़म किस (ज़रिये) से आई है।	یہ رقم کس ذریعہ سے آئی ہے۔

जिस इस्म के आख़िर में हाये मुख़्तफ़ी (चुप 'ह') हो और उसके पश्चात कोई हर्फ का, की, से आदि हो तो लखनऊ वाले उस आख़री ''ह'' को मज्हूल ''य'' से बदल कर पढ़ते हैं उसके लिए हिन्दी में ''ह'' से पहले वाले हर्फ को ''ए'' की मात्रा लगाते हैं लेकिन हिन्दी में ''अ'' पर ''ए'' की मात्रा नहीं लगायी जाती है इसलिए ''अ'' को ''य'' से बदलना पड़ता है इसीलिए वाक़िये और ज़रिये लिखा गया। वाक़िया और ज़रिया लिखना यद्यपि ग़लत हैं परन्तु हिन्दी में यही इमला प्रचलित है।